

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

SEVENTH
ANNUAL REPORT
1978-79



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700068

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

SEVENTH
ANNUAL REPORT
1978-79



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, JODHPUR PARK
CALCUTTA-700068

NOVEMBER, 1979

Published by Dr. B. P. Barua, Member-Secretary, Raja Rammohun
Roy Library Foundation, 110, Jodhpur Park, Calcutta-700068 and
Printed at PRESSCO, 1/27, Prince Golam Mohammad Road,
Calcutta-700026, Phone : 46-4541.

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION
ANNUAL REPORT
1978-79

CONTENTS

	Pages
I Introductory ...	1
II Location ...	1
III Composition of the Foundation ...	1-2
IV Administrative Committee ...	2-3
V State Library Planning Committees ...	3-4
VI Staff & Office ...	4
VII Finance ...	4-5
VIII Rules & Regulations ...	5
IX Evaluation Committee ...	5-6
X Assistance Programmes ...	6-12
XI Other Activities ...	12-13
XII Conclusion ...	13-14

APPENDICES

I List of Members of the Foundation ...	17-19
II List of Members of the Administrative Committee ...	20-21
III List of Conveners of State Library Planning Committees ...	22-27
IV Organisation Chart ...	28

V	List of Grants received from the Govt. of India and Different State Govts. during 1978-79	...	29
VI	Statement of Audited Accounts of the Foundation for the year 1978-79	...	30-41
VII	List of Library centres assisted towards the scheme of processing, (cataloguing and classification), binding & preservation of out-of-print and rare books and of rare manuscripts during the year 1978-79.	...	42-46
VIII	Statement showing the Number of libraries covered at different levels during the year 1978-79	...	47-48
IX	Statement showing the Number of libraries covered at different levels during the years 1972-73 to 1978-79.	...	49-50

RAJA RAMMOHUN ROY LIBRARY FOUNDATION

Seventh Annual Report
(1978-79)

I. INTRODUCTORY

Raja Rammohun Roy Library Foundation was established on May 20, 1972 to commemorate the bi-centenary of the birth of the Raja. It is an autonomous organization sponsored by the Ministry of Education and Social Welfare, Government of India. The Foundation was registered under the West Bengal Societies Registration Act, 1961. The general objectives of the Foundation are given in detail in its Memorandum of Association. In short, the basic objective is to promote and support the public library movement in the country by providing adequate library services and popularising reading habits, in active cooperation with the library authorities of the States and Union Territories.

II. LOCATION

The office of the Foundation is located in a rented building at 110 Jodhpur Park, Calcutta-700068. The accommodation is not adequate to meet the increasing needs of the office. Efforts are being continued to find a suitable and permanent habitat for the Foundation.

III. COMPOSITION OF THE FOUNDATION

The Foundation is composed of 22 members including

- the Union Minister of Education or his nominee as Chairman ;
- Secretary, Government of India, Department of Culture or his nominee ;
- 13 persons nominated by the Government of India,

4 of whom are eminent librarians and the others are educationists ;

- representatives of the Indian Library Association, Sahitya Academy, and National Book Trust, India ;
- 3 persons nominated by the Government of India to represent the Department of Education, the Department of Social Welfare and the Ministry of Finance ;
- the Member-Secretary.

According to rules the term of office of the Foundation shall be three years and shall be deemed to commence from the date on which it holds its first meeting. However, a Foundation once constituted shall continue to be in office till a new Foundation is constituted and the names of the members are published in the official gazette. The second term of the Foundation expired on 21st May 1978. The Government of India nominated 13 non-official members in September 1978. The first meeting of the reconstituted Foundation was held on 6th November 1978. Incidentally, it was the 5th Annual General Meeting of the Foundation.

(List of members of the Foundation may be seen at Appendix I)

IV. ADMINISTRATIVE COMMITTEE

The Foundation is assisted in its functioning by an Administrative Committee. It was reconstituted by the Foundation in its 5th Annual General meeting. The Administrative Committee looks after the financial and administrative affairs of the Foundation. It held three meetings during the year on May 22, 1978, November 6, 1978 and January 12 and 13 1979.

(List of members of Administrative Committee may be seen at Appendix II)

The Administrative Committee constituted two sub-committees during the year, one for drafting of rules and

procedures for the schemes of assistance and the other for examining the recommendations of the Evaluation Committee with regard to procedure of payment to publishers/suppliers for balance 25%, selection of Hindi books centrally for non-Hindi speaking States and production and translation of books. The works of the sub-committees are likely to be completed in the early part of the next year.

V. STATE LIBRARY PLANNING COMMITTEES

State Library Planning Committee is the principal agency through which the Foundation collaborates with the State and Union Territory Governments. The Committee is supposed not only to plan the expansion and development of library services in the State but also to supervise the implementation of various programmes of assistance adopted by the Foundation. It is also expected to serve as a coordinating body of several departments engaged in the promotion of library services at various levels.

Each State Library Planning Committee consists of a small group of members nominated by the State/Union Territory Government with the Member Secretary of the Foundation as an Ex-officio Member. The Officer-in-charge of Library Services or the State Librarian is the Convener of this Committee.

The State Library Planning Committees have been set up in most of the States and Union Territories with the exception of the following :—

1. Madhya Pradesh, 2. Rajasthan, 3. Haryana,
4. Jammu & Kashmir, 5. Arunachal Pradesh,
6. Delhi, 7. Pondicherry and 8. Lakshadweep.

In these States the Officers-in-Charge of Library Services are deemed as Conveners.

While considering the recommendation of the Evaluation Committee the Administrative Committee held that the State

Library Planning Committees should include one or two educationists having proficiency in regional language and literature and that it should meet at least twice a year. These recommendations have been brought to the notice of the State Governments.

(A list of Conveners of State Library Planning Committees may be seen at Appendix III).

VI. STAFF AND OFFICE

Chairman : Dr. Bhabatosh Datta continued to be the Chairman during the year.

Member-Secretary : Dr. B. P. Barua continued as Acting Member-Secretary. However, the Foundation decided to appoint a Member-Secretary on regular basis early next year.

Others : Shri R. Guptasarma, a deputationist from A. G. West Bengal, continued as Executive Officer. The vacant post of Field Officer could not be filled in on regular basis as the acting Member-Secretary held a lien to the post. It was, however, temporarily filled in w. e. f. January 1, 1979 by the appointment of Smt. Kana Sengupta. Two new posts, Statistical Assistant and Chowkidar, were created during the year. The total staff strength including a part-time Sweeper numbered 21.

The Evaluation Committee recommended the addition of more officers and staff to cope with the increasing volume of work. In consonance with their recommendation the Administrative Committee decided to create certain posts viz: Joint Director/Dy. Secretary, Asstt. Director/Asstt. Secretary, Upper Division Clerk, Junior Stenographer, Lower Division Clerk. Approval of the Ministry was awaited.

(An organization-chart of the Foundation may be seen at Appendix IV).

VII. FINANCE

The Foundation is fully financed by the Government of

India. It sanctions annual grant based on the estimates of expenditure and programme of activities planned for the year. In addition, the Foundation receives contributions from the State Governments and Union Territory administrations. The contributions are paid in order to receive matching assistance from the Foundation to develop library services in the respective States and Union Territories.

During 1978-79 the Foundation received a grant of Rs. 22.50 lakhs from the Government of India as against the original sanctioned amount of Rs. 30 lakhs. The contributions from the State Governments amounted to Rs. 12.48 lakhs.

(Details are given at Appendix V).

(Statement of audited accounts by the Accountant General, Central, Calcutta for 1978-79 may be seen at Appendix VI).

VIII. RULES AND REGULATIONS

The Foundation is guided by the Memorandum of Association and Rules, Service Regulations and Contributory Provident Fund Rules as approved by the Government of India. Matters that are not covered by the above rules and regulations are regulated by the relevant Government of India rules and procedures. During 1978-79 rules for three schemes of assistance *viz.* 1) Binding and preservation of rare books and manuscripts, 2) Mobile Library Services, 3) Organisation of seminars, workshops and book exhibitions have been adopted.

IX. EVALUATION COMMITTEE

The Evaluation Committee set up by the Foundation in February 1977 under the Chairmanship of Shri B. R. Nanda, Director, Nehru Memorial Museum and Library, New Delhi, submitted its report in September 1978. The terms of reference of the Evaluation Committee were (a) to evaluate the impact of the Foundation with reference to the objectives

for which it was established, (b) to examine the procedures and methods adopted by the Foundation in its working in regard to, inter alia, selection, purchase and distribution of books, reasonableness of the price of the books to be purchased, agency commission, and packing and forwarding of the books and (c) to suggest guidelines for the working of the Foundation keeping in view the place of such a programme in the Sixth Five Year Plan. According to the report, "Its activities have been steadily expanding, but the task which the Foundation set before itself is gigantic attended by difficulties many of which can be attributed to the lack of a proper infrastructure in different States for the library movement." The Evaluation Committee recommended substantial expansion of its activities during the 6th Plan period.

The recommendations of the Evaluation Committee were considered by the Administrative Committee in a special meeting held on January 12 and 13, 1979. The recommendations were adopted with certain modifications and subject to the availability of funds.

X. ASSISTANCE PROGRAMME

The Sixth Plan programmes adopted by the Foundation in the beginning of the year was modified later on in the light of recommendations submitted by the Evaluation Committee. The schemes of assistance which were finally adopted for implementation are listed below :

- (1) Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials.
- (2) Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services.
- (3) Assistance towards binding and preservation of out-of-print and rare books and journals and of rare manuscripts.
- (4) Assistance towards the organization of library workshops, seminars and book exhibitions.

(5) Assistance towards storage of books.

Of these schemes the last one was not taken up for implementation during the year.

1. *Assistance towards building up of adequate stock of books and reading and visual materials :*

Books and readers constitute the two vital elements of library service. Development of reading habits presupposes the existence of good stock of reading materials in the libraries. But with the meagre amounts available and with the increasing cost of books the libraries are finding it difficult to acquire enough books to cater to the needs of the growing numbers of the reading public: The Foundation has, therefore, taken up this major programme of assistance towards the increase of book stock of libraries.

The programme has been sub-divided into three parts keeping in view the standard of libraries and the level of clientele they serve (a) Assistance to State, District and Sub-Divisional libraries (b) Assistance to rural libraries (c) Assistance to centrally sponsored libraries.

Assistance under the scheme is given in the form of books and other reading and visual materials. State Library Planning Committee of the States and Union Territories prepare the lists of books and lists of libraries to which the books are to be supplied. The Foundation approves the list formally considering the funds available for each State. Some States *viz.* Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Gujarat, Tripura and Goa have assumed the responsibility of purchase and distribution of books. For the rest of the States and the Territories the Foundation is doing the job.

Apart from the books selected by the respective State Library Planning Committees, the Administrative Committee of the Foundation centrally selects a small number of useful books, mainly in English, for distribution to the State and

District level libraries of the country. Except for the centrally sponsored libraries and for the centrally selected books, assistance under all programmes are given on matching basis.

In executing the programmes, the Foundation was confronted with various problems and bottle-necks during the period under report. The main problem was late receipt of proposals for assistance from most of the States and Territories. As a consequence the entire process of book acquisition and distribution got delayed, and the Foundation was compelled to incur the greater portion of its expenditure in the last quarter, nay in the last month, of the year. This is somewhat unavoidable in the scheme of things. Book selection for bulk purchase is a difficult and time-consuming task. Though State Library Planning Committees finally approve the list of books, selection is often delegated to a book selection committee. A couple of States take the help of book reviewers appointed for the purpose. Some States have decentralised the process of book selection down to the recipient libraries. Similarly, the selection of libraries, particularly at rural level, require consultation at various points. The Foundation generally receives the lists in the middle or the 3rd quarter of the year. Once the lists are received and approved either the State authorities or the Foundation place orders for the supply of books. Complications arise when lists are found defective. Numerous correspondences follow for clarification over rates of discount and prices of books. Thereafter the publishers/book-sellers take two to three months' time to execute the orders. Under the circumstances the Foundation has no alternative but to spend money for assistance mainly at the fag end of the year. This phenomenon needs appreciation.

The second difficulty faced by the Foundation was in regard to acknowledgement for the receipt of books from the recipient libraries. Some libraries are not particular in

sending acknowledgement receipts. Without this full payment cannot be made to the suppliers, and outstanding dues get accumulated. On the other hand, risk is involved in making payment without the receipt of proper documents showing the actual despatch and receipt of consignments. The recommendations of the Evaluation Committee on this matter were under consideration of the Administrative Committee. A decision was expected early next year.

Another problem is that of inequitable distribution of assistance which is related to contribution made by the individual State/Territory. Some States pay contribution regularly but are not regular in sending proposals for assistance. But a small number of them do send proposals for assistances and hold out assurances of contribution but fail to do so ultimately. Therefore, the phenomenon of some States receiving more than the matching proportion of their contribution and some receiving less cannot be avoided altogether. But all States are keen to draw matching assistance for all the contributions made by them to the Foundation including those paid in the early years.

(a) *Assistance to State Central Libraries, District Libraries and Sub-Divisional Libraries :*

Almost all the States have set up State Central Libraries. Of them Connemara Public Library, Madras, and Asiatic Society Library, Bombay get books under the Delivery of Books Act. Delhi is covered by Delhi Public Library. There are also Regional Libraries in Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan. District Libraries have been established in most of the districts. These are either Government libraries or aided libraries. In some States sub-divisional libraries are treated at par with District Libraries for receiving assistance. The Foundation has been rendering book assistance to all these libraries from its inception. During the year the Foundation has given assistance to 27 State Central Libraries and 382 District Libraries, Books worth Rs. 4.43 lakhs were supplied to them both from the State and Central sources.

(b) *Assistance to Rural Libraries :*

The libraries below the District level or the Sub-Divisional level are grouped together as rural libraries. These may be Taluka, Block and Village libraries. These libraries are mostly run by voluntary organizations with or without aid from the Government. Since the aim of the Foundation is to take library services to the rural areas, great stress has been laid upon the scheme of assistance to rural libraries. This will be evident from the fact that 5436 rural libraries were covered and books valued at Rs. 31.28 lakhs were supplied to them during 1978-79.

(c) *Assistance to Centrally sponsored libraries :*

Nehru Yuvak Kendras, Jawahar Bal Bhavans, Arabindo Bal Kendras, Bhagwan Mahavir Jayanti Libraries etc. constitute the centrally sponsored libraries which receive assistance directly from the Foundation. It was also decided that some reputed voluntary organisations recognised by the Government of India should also get assistance under the scheme.

The tempo of assistance to this category of libraries slowed down during the year. The enthusiasm to run the rural library services seems to be waning among some of the centrally sponsored libraries. The Foundation rendered assistance to 113 Nehru Yuvak Kendras, 7 Bal Bhavans and Bal Kendras and one voluntary organisation to the extent of Rs. 0.73 lakhs.

2. *Assistance towards binding and preservation of rare books, journals and manuscripts :*

Some of the old and well-established libraries of the country, Government and non-Government, are in possession of out-of-print and rare books, journals and important manuscripts. The Foundation has adopted a scheme since 1975-76 to give financial assistance to such libraries for fumigation, lamination, repair, binding and preservation of such rare books, journals and manuscripts. During

1978-79, the Foundation rendered financial assistance to 44 libraries amounting to Rs. 1.23 lakhs. Almost all the important libraries of the country have been covered under the programme. So far the Foundation has covered 137 libraries and spent Rs. 6.92 lakhs for the purpose.

(The list of libraries assisted under the programme during 1978-79 may be seen at Appendix VII).

3. *Assistance towards development of rural book deposit centres and mobile library services :*

To provide library services for neo-literates the Foundation adopted the scheme of assistance to Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services. Assistance under the scheme is given to certain institutions and voluntary organisations in the form of books, cycles, rickshaws, bags etc. The recipient institutions are expected to circulate books from one delivery station to another with the help of cheap modes of transport or volunteers.

During 1978-79 the Foundation approved a scheme of mobile library services by 50 libraries of Kerala. 50 bicycles with carriers were supplied for the purpose.

Book assistance was also given to Gujarat Vidyapith, Ahmedabad and Ramkrishna Mission, Loka Shiksha Parishad, Narendrapur, West Bengal for developing rural book deposit centres in their respective areas.

(Number of libraries covered under various programmes during 1978-79 may be seen at Appendix VIII).

4. *Assistance towards the organization of library workshops, seminars and book exhibition :*

This is a new scheme adopted for the Sixth Plan period. The object of the scheme is to give reorientation training to the serving librarians and to promote library and book consciousness among the public. Under the scheme assistance was given to the Indian Association of Special Libraries and Information Centres for holding a seminar on "Library

and Information Systems for Rural Development in India and to the Indian Library Association for their seminar on "Library Legislation in India". Assistance was also given to the State Central Library, Allahabad for organising a workshop-cum-seminar of the District Librarians at Allahabad and to the Bengal Library Association for their seminar on "Role of Public Libraries in Eradicating illiteracy". In all an amount of Rs. 0.28 lakhs was spent for the purpose.

XI. OTHER ACTIVITIES

Celebration of the 206th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 6th Foundation Day of the Foundation.

The Foundation celebrated the 206th birth anniversary of Raja Rammohun Roy and the 6th anniversary of the Foundation Day on May 22, 1978. Dr. P. C. Gupta, Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, presided over the meeting. Dr. R. K. Dasgupta, Director, National Library was the Guest Speaker. He spoke on "Raja Rammohun Roy and the New Learning." The meeting was well attended and received wide coverage.

1st State Library Planning Committee Conveners' Conference :

The Foundation operates through the agency of State Library Planning Committees and the Conveners are the main-spring of this machinery. It was, therefore, considered useful to hold a conference of these key officials of the States and Union Territories for exchange of views and for sorting out certain issues across the table. The 1st S. L. P. C. Conveners' Conference was held from 22 to 24 May, 1978 in Calcutta. The Conference enabled the Foundation to take suitable steps for the smooth implementation of the programmes of the Foundation.

Library Legislation

The Foundation impressed upon different States and Union

Territory Governments who have not yet adopted library legislation, the desirability of library legislation on any model considered suitable for their States or Territories.

XII. CONCLUSION

The Foundation has taken long strides in promoting library services in the country. Since its inception in 1972 till March 1979 the Foundation received a total contribution of Rs. 1,95,02,354.00 out of which Rs. 1,13,75,000.00 was received from the Government of India and the remaining Rs. 81,27,354.00 from the States.

The volume of assistance increased steadily from Rs. 7.48 lakhs in 1972-73 to the record amount of Rs. 37.97 lakhs in 1978-79. The total amount of assistance rendered in seven years is Rs. 1.75 crores. Out of this the major portion was spent for purchase of books.

Over the last seven years the Foundation has covered over 10 thousand libraries at various levels.

State Libraries	...	27
District Libraries	...	402
Nehru Yuvak Kendras	...	131
Bal Bhavans & Bal Kendras etc.	...	41
Rural Libraries	..	8816
Libraries for binding, processing and preservation etc.	...	137
Mobile Libraries and Rural Book Deposit Centres, libraries run by voluntary organisations, NSS Centres and others	...	480
		<hr/>
Total	...	10034

(Number of libraries covered at different levels from 1972-73 to 1978-79 may be seen at Appendix IX)

The Foundation can reasonably claim to have created an atmosphere for the expansion of library services throughout the country. The momentum is to be sustained and vigorously followed up in the years to come.

APPENDICES

LIST OF MEMBERS OF THE FOUNDATION

1. Dr. Bhabatosh Datta ... Chairman
2. Secretary
Department of Culture
Ministry of Education,
Social Welfare & Culture,
Shastri Bhavan
New Delhi.
3. Secretary
Department of Education
Ministry of Education & Social Welfare
Shastri Bhavan
New Delhi.
4. Secretary
Department of Social Welfare
Ministry of Education & Social Welfare
Shastri Bhavan
New Delhi.
5. Financial Adviser
Ministry of Education,
Social Welfare and Culture,
Shastri Bhavan
New Delhi.
6. Secretary
Sahitya Academy
Rabindra Bhavan
Ferozeshah Road
New Delhi.

7. Chairman
National Book Trust, India
A-5, Geen Park
New Delhi.
8. Shri B. L. Bharadwaj
President
Indian Library Association
L-18 Kalkaji
New Delhi-19.
9. Shri P. N. Panicker
Kerala Association for Non-Formal
Education and Development,
Trivandrum.
10. Shri Zawar Hussain
10 Water Tower Road
Patna.
11. Miss Lata Patankar
Sr. Professor
Mulji Jetha College
Jalgaon (Maharashtra).
12. Sr. Helen Vincent
Principal
Stella Maris College
Madras.
13. Smt. Sadhana Sarkar
Principal
Rammohun College
Calcutta-9.
14. Prof. Bidhu Bhusan Das
Director of Public Instruction, Orissa
Bhubaneswar.
15. Prof. A. K. Jalaluddin
Director
Directorate of Adult Education
New Delhi.

16. Prof. S. Maqbul Ahmed
Head, Centre of West Asian Studies
Aligarh Muslim University
Aligarh.
17. Prof. R. K. Dasgupta
Director
National Library
Calcutta.
18. Shri J. C. Mehta
Director
Delhi Public Library
Delhi.
19. Shri N. D. Bagari
Director
Department of Public Libraries
Government of Karnataka
Bangalore.
20. Shri B. N. Tewari
Librarian,
State Central Library
Allahabad.
21. Shri Ram Goswamee
Librarian
State Central Library
Gauhati
Assam.
22. Shri B. P. Barua, Member-Secretary (Offg.)

**LIST OF MEMBERS OF THE ADMINISTRATIVE
COMMITTEE**

Chairman

1. Dr. Bhabatosh Datta ...
2. Secretary
Department of Culture
Ministry of Education, S. W. & Culture
Shastri Bhavan
New Delhi.
3. Financial Adviser
Integrated Finance Division
Ministry of Education, S. W. & Culture
New Delhi.
4. Prof. R. K. Dasgupta
Director
National Library
Calcutta-27.
5. Prof. A. K. Jalaluddin
Director
Directorate of Adult Education
New Delhi.
6. Prof Bidhu Bhusan Das
Director of Public Instruction
Government of Orissa
Bhubaneswar.
7. Smt. Sadhana Sarkar
Principal
Rammohun College
Calcutta-9.

8. Shri J. C. Mehta
Director
Delhi Public Library
Delhi.
9. Shri B. L. Bharadwaj
President
Indian Library Association
New Delhi.
10. Shri N. D. Bagari
Librarian & Head of the Deptt. of
Public Libraries
Government of Karnataka
Bangalore.
11. Shri B. P. Barua
Member Secretary
R. R. R. L. F.
Calcutta.

**CONVENORS OF STATE LIBRARY
PLANNING COMMITTEES**

1. **ANDHRA PRADESH :**
The Director of Public Libraries,
Hyderabad.
2. **ASSAM :**
The Librarian,
State Central Library,
Gauhati.
3. **BIHAR :**
The Superintendent of Libraries,
Sinha Library Campus,
Patna.
4. **GUJARAT :**
The Curator of Libraries,
Gujarat State,
0-4, New Mental Hospital Buildings,
Ahmedabad-16
5. **HARYANA :**
The Dy. Director of Public Instruction (College),
Chandigarh.
6. **HIMACHAL PRADESH :**
The State Librarian,
State Central Library,
Solun.

7. **JAMMU & KASHMIR :**
The Director,
Library Research & Museum,
J & K Govt.
Srinagar.
8. **KARNATAKA :**
The State Librarian & Head
of the Department of Public Libraries,
Sheshadri Iyar Memorial Hall,
Cubbon Park,
Bangalore-1.
9. **KERALA :**
The State Librarian,
Trivandrum Public Library,
Trivandrum-1.
10. **MADHYA PRADESH :**
The Chief Librarian,
Directorate of Public Instruction,
Bhopal.
11. **MAHARASHTRA :**
The Director of Libraries,
M. S. Town Hall,
Bombay.
12. **MANIPUR :**
The Chief Librarian,
State Central Library,
Imphal.
13. **MEGHALAYA :**
The Director of Public
Instruction,
Shillong.

14. **NAGALAND :**
The Joint Director,
Art & Culture,
Kohima.
15. **ORISSA :**
The Under Secretary to the Govt. of Orissa,
Deptt. of Tourism & Cultural Affairs,
Bhubaneshwar.
16. **PUNJAB :**
The Librarian,
State Central Library,
Patiala.
17. **RAJASTHAN :**
The Dy. Director, Social Education, Rajasthan,
Bikaner.
18. **SIKKIM :**
The Asstt. Cultural Officer,
Office of the Secretary, Cultural Affairs,
Gangtok.
19. **TAMILNADU :**
The Director of Public Libraries,
Madras-8
20. **TRIPURA :**
The State Librarian,
Birchandra Public Library,
Govt. of Tripura,
Agartala-799001.
21. **UTTAR PRADESH :**
The Librarian,
Govt. Central Library,
Allahabad.

22. **WEST BENGAL :**

The Dy. Director of Public Instructions,
(Social Education),
Govt. of West Bengal,
Writers Buildings,
Calcutta-700001.

UNION TERRITORIES :


1. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS :
The Director of Education,
Andaman & Nicobar Islands,
Andaman & Nicobar Administration,
Port Blair, Andaman.
2. ARUNACHAL PRADESH :
The Librarian, Central Library,
Government of Arunachal Pradesh,
Chengod, P.O. Itanagar (New Itanagar)
Dist. Subansiri.
3. CHANDIGARH :
The Librarian,
T. S. State Central Library,
Chandigarh.
4. DADRA & NAGAR HAVELI :
The Head of the Education Department,
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa,
Office of the Administrator,
Dadra & Nagar Haveli, Silvassa
5. DELHI :
The Director of Education,
Delhi Administration,
Old Secretariat,
Delhi.
6. GOA DAMAN & DIU :
The Curator,
Govt. of Goa, Daman & Diu,
Central Library,
Panaji, Goa.

7. **LAKSHADWEEP :**
The Social Welfare Officer,
P.O. Kavaratti,
via H.P.O. Calicut,
Lakshadweep

8. **MIZORAM :**
The Dy. Director of Education,
Aizwal, Mizoram.

9. **PONDICHERRY :**
The Director of the Education,
Pondicherry-605001.

ORGANISATION CHART



APPENDIX—V

LIST OF GRANTS RECEIVED FROM THE GOVT.
OF INDIA AND DIFFERENT STATE
GOVTS. DURING 1978-79.

		Amount
I. Grants Received from the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare	Rs.	22,50,000·00
II. Contribution Received from the Govts. of :		
1. Andhra Pradesh	Rs.	2,00,000·00
2. Arunachal Pradesh	Rs.	10,000·00
3. Karnataka	Rs.	2,00,000·00
4. Kerala	Rs.	1,00,000·00
5. Maharashtra	Rs.	2,00,000·00
6. Nagaland	Rs.	25,000·00
7. Goa, Daman & Diu	Rs.	5,000·00
8. Mizoram	Rs.	20,000·00
9. Uttar Pradesh	Rs.	2,00,000·00
10. West Bengal	Rs.	2,00,000·00
11. Gujarat	Rs.	75,000·00
12. Sikkim	Rs.	3,000·00
13. Andaman & Nicobar Islds.	Rs.	10,000·00
	TOTAL :	Rs. 34,98,000·00

STATEMENT OF AUDITED ACCOUNTS OF THE FOUNDATION FOR THE YEAR 1978-79

i) Receipts and payments Account for the period from : 01-04-1978 to 31-03-1979

	RECEIPTS		PAYMENTS	
	Rs.	P.	Rs.	P.
I. Opening Balance :				
Cash in hand		1,050.71		
Cash at bank	11,39,420.53		11,40,471.24	
				1,73,107.39
II. Contribution Received from the Govts. of :				
1. Andhra Pradesh	2,00,000.00			
2. Arunachal Pradesh	10,000.00			
3. Karnataka	2,00,000.00			
4. Kerala	1,00,000.00			
5. Maharashtra	2,00,000.00			
6. Nagaland	25,000.00			
7. Goa, Daman & Diu	5,000.00			
8. Mizoram	20,000.00			
9. Uttar Pradesh	2,00,000.00			
				17,764.57
				4,796.89
J. Administration :				
1. Pay & Allowances of Staff				
2. Travelling Allowances of Staff				
3. Medical & other Allowances of Staff				
4. Travelling Allowances of the members of the Foundation, Administrative Committee, State				

10. West Bengal	2,00,000.00	Library Planning	
11. Gujarat	75,000.00	Committee etc.	29,163.10
12. Sikkim	3,000.00	5. Rent of office	
13. Andaman & Nicobar Is.	10,000.00	Building	27,000.00
	<u>12,48,000.00</u>	6. Other charges	36,551.66

**III. Grants Received from
the Govt. of India :**

22,50,000.00

**IV. Miscellaneous
Receipts :**

1. Bank Interest	22,597.58	10. Payment of	
2. Garage Rent	1,200.00	Compulsory Deposit	14,997.05
3. Forfeiture of P.F.	2,560.00	11. Deposit	
4. Sale Proceeds	28.00	(caution money)	100.00
5. Private use of Staff Car	27.75	12. Permanent Advances (Imprest)	500.00
6. Refund of Advertisement Charges	2,400.00	13. Advances :	
7. Refund of T.A.	1,441.75	a) Flood Advance	7,500.00
8. Refund of Flood Advance	458.00	b) Bicycle Advance	550.00
		c) Festival Advance	2,200.00
		14. Staff Welfare	1,000.00
			3,38,737.85

RECEIPTS

Rs. P. Rs. P.

9. Refund of Festival Advance	60.00
10. Refund of Leave Salary	31.25
11. Refund of caution money	100.00
12. Refund of Insurance premium	64.15
13. Refund of Imprest	·12
14. Refund of excess payment to Suppliers	61.07
15. Deposit of P.F. money	5,574.00
16. Compulsory Deposit Scheme	14,997.05
17. Others	·03
	<hr/> 51,600.75

II. Assistance to Libraries :

A. Assistance towards

building up of

adequate stock of

books and reading

and visual materials :

a) Strengthening of

District & Sub-

Divisional libs. 4,42,811.13

b) Supply of books

to Rural libraries

etc. 31,27,892.47

c) Supply of books

to Centrally

sponsored Libraries

in NYK, Bal

Bhavan etc. 72,876.66

V. *RRRLF (Employees)*

C.P.F. Accounts :

Cash in hand	764.47	
Cash at Bank	17,295.53	
CPF. Additional		
DA (at Bank)	1,390.80	19,450.80
Employees subscriptions	13,406.75	
Refund of Advance	627.00	
Foundation's Contribution to CPF.	6,100.20	
Interest received from Bank	874.80	21,008.75

B. *NEW SCHEMES :*

2. Assistance towards development of Rural Book Deposit Centres and Mobile Library Services	2,067.45
3. Assistance to libraries towards Processing (Cataloguing and Classification) Binding & Preservation of out-of-print and rare books and of rare manuscripts	1,22,517.75
4. Assistance to scheme of Financial assistance towards the organisation of seminars, workshops, training courses, Book exhibitions etc.	28,424.00
	<u>37,96,589.46</u>

Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
	Refund of Security Deposit	480.00
	Refund of P. F. Deposit	5,574.00
III. Publications :		4,348.00
IV. Capital Expenditure :		
	Furniture & equipment	11,721.66
V. RRRLF (Employees) CPF A/c. :		
	Advance to Employees	1,200.00
	Final withdrawal by Employees	744.30
	Write back of Foundation Contribution to RRRLF A/c.	427.00
	Closing Balance of RRRLF (Employees) CPF Accounts :	
	Cash in hand	1,454.20
	Cash at bank	36,634.05
	Closing Balance :	
	Cash in hand	140.76
	Cash at bank	3,74,882.68
	Term deposit & Fixed deposit	1,57,597.58
		5,32,621.02
Grand Total :		47,30,531.54
		Grand Total :
		47,30,531.54

(ii) *Income & Expenditure account for the year ending on 31st March, 1979 :*

EXPENDITURE		INCOME	
	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
I. Administration :			
1. Pay and Allowances of Staff	1,75,608.14	I. Contributions received from the State Governments and Grants received from the Government of India.	34,98,000.00
2. Travelling Allowances of Staff	15,253.87		
3. Medical & other Allowances of Staff	4,796.89	II. Miscellaneous Receipts :	
4. T.A. etc. for meetings of the Foundation, Administrative Committee, State Library Planning Committee etc.	27,209.05	(i) Charges for Private use of Staff Car	27.75
5. Rent of Building	27,000.00	(ii) Sale Proceeds of old Newspaper etc.	28.00
6. Other Charges	35,356.50	(iii) Garage rent	1,200.00
7. Leave Salary & Pension Contributory	6,517.00		<u>1,255.75</u>
		III. Forfeiture of P.F. deposit	2,560.00
		IV. Interest received from Bank	22,597.58

EXPENDITURE

Rs. P. Rs. P.

8. Maintenance of staff car	10,975.89
9. Foundation's contribution to contributory Provident Fund	5,826.20
10. Grant for Staff Welfare	<u>1,000.00</u>

3,09,543.54

36

II. Assistance To
Liabilities :

Purchase and distribution of books,	36,71,943.19
Organisation of Mabile Library Services	<u>2,067.45</u>
	36,74,010.64

Less clearance of old Liabilities during the year

96,899.27

35,77,111.37

INCOME

Rs. P. Rs. P.

V. Refund of Advertisement charges etc.	2,400.00
VI. Others	.03
VII. Excess of expenditure over income	6,46,663.31

<i>Add outstanding liabilities during the year</i>	1,59,956.01	37,37,067.38
Assistance towards Processing, (Cataloguing & Classification), Binding and Preservation of out-of-print and rare books and manuscripts		1,22,517.75
III. Publications :		
Publication		4,348.00

Grand Total : 41,73,476.67

Grand Total : 41,73,476.67

LIABILITIES	Rs. P.	Rs. P.	ASSETS	Rs. P.	Rs. P.
I. Outstanding Liability :			I. Furniture & Equipments :		
As per last account	6,34,477.99		As per last account	90,997.39	
Less clearance			Add during this year	11,331.60	1,02,328.99
during the year	96,899.27				
Balance of last			II. Staff Car :		
account	5,37,578.72		As per last account	29,111.85	
Add during this			Add during this year	—	29,111.85
year	1,59,956.01	6,97,534.73			
			III. Deposits :		
			As per last account		
			(P & T Deptt.)	15,000.00	
II. Security Deposit :			Rent of Building		
As per last account	5,465.02		(as per last account)	4,500.00	
Less refund during			Caution money		
this year	480.00	4,985.02	(during this year)	100.00	19,600.00
III. Value of Assets :			IV. Advance : Festival Advance :		
As per last account	1,30,807.80		As per last account	180.00	
Add during this year	11,331.60	1,42,139.40	Add during this year	2,200.00	
					2,380.00

IV. RRRLF (Employees

CPF Account) :

As per last account :

C.P.F.	18,060.00
A.D.A.	1,390.80
	<u>19,450.80</u>

Add during this year	21,008.75
	<u>40,459.55</u>

Less withdrawal
during this year

	1,944.30
	<u>38,515.25</u>

Less amount credited
to R.R.R.L.F. account

	427.00
	<u>38,088.25</u>

Compulsory D.A.

Deposit :

As per last account :	—
Receipt from RPF Commissioners & others	14,997.05

Less refund during the
year

	1,280.00
	<u>1,100.00</u>

Bi-cycle advance :

As per last Account	528.00
Add during this year	<u>550.00</u>

1,078.00

Less refund during the
year

	451.00
	<u>627.00</u>

Flood Advance :

Paid during the year	7,500.00
Less refund during the year	<u>1,319.00</u>

6,181.00

T.A. Advance :

Advance for purchase of Petrol & M. oil	188.10
Advance for purchase of Postal Stamp for the Franking Machine	1,783.50

2,993.00

LIABILITIES

Rs. P. Rs. P.

Less payment
to Staff

14,997.05

—

ASSETS

Rs. P. Rs. P.

V. Income & Expenditure A/c :

Excess of expenditure
over income 6,46,663.31
Less excess of
income over Expen-
diture as per last
account 5,10,370.22

1,36,293.09

Add value of assets 11,331.60

1,47,624.69

VI. Fixed Deposit & Term Deposit in S.B.I.

1,57,597.58

VII. Closing Balance :

Cash in hand 140.76

Cash at bank (in cur-
rent a/c. with State
Bank of India) 3,74,882.68

3,75,023.44

Cash balance with
imprest holder

500.00

VIII. Opening balance of Imprest a/c. with the Evaluation Committee

232.55

Payment during the year 17.45

250.00

Adjustment during the
year 250.00

RRRLF (Employees CPF A/c)

Closing balance :

Cash in hand 1,454.20

Cash at bank 36,634.05 38,088.25

Grand Total 8,82,747.40

Grand Total 8,82,747.40

Sd/- S. K. Ganguly

Accountant

31.7.79

Sd/- R. Guptasarma

Executive Officer

31.7.79

Sd/- B. P. Barua

Member-Secretary

31.7.79

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the foregoing accounts and Balance-sheet of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta, for 1978-79 and obtained all the information and explanations that I have required and subject to observations in the Inspection Report appended, I certify as a result of my audit and test-check of accounts, that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair state of affairs of the Foundation according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Calcutta, produced before me.

Sd/- B. Chakraborty

Audit Officer, Director of Audit, Central, Calcutta.

**LIST OF LIBRARY CENTRES ASSISTED TOWARDS
THE SCHEME OF PROCESSING, (CATALOGUING
AND CLASSIFICATION), BINDING & PRESERVA-
TION OF OUT-OF-PRINT AND RARE BOOKS
AND OF RARE MANUSCRIPTS DURING
THE YEAR 1978-79**

Sl. No.	Name of the State	Name of Library Centres	Amount of assistance Rs. P.
1)	Andhra Pradesh	1) Bapuji Vachanalaya, Nizamabad	1,500·00
		2) Sri Bhramaramaba Mall- eswara, Andhra Grand- halayam, Sivalayam Street, Vijayawada-520001.	2,500·00
		3) Sri K. R. V. K. Library, Town Hall Main Road, Kakinada	1,500·00
		4) Sri Gowthami Library, Rajahmundry	2,500·00
		5) Marwadi Hindi Pustaka- laya, Hashmathgunj, Sultan Bazar, Hyderabad.	1,000·00
		6) Khalsa Library, Gowli- guda, Hyderabad-12	500·00
		7) Rajasthani Hindi Pustaka- laya, Begum Bazar, Hyderabad-500012	5,000·00
		8) Sri Vasavi Kanyaka Para- meswari Grandhalayam, Chilakaluripet, Guntur District	2,000·00

Sl. No.	Name of the State	Name of Library Centres	Amount of assistance Rs. P.
		9) Saraswata Niketanam, Vetapalem Prakasham District	7,500·00
		10) Rammohun Free Library & Reading Room, Vijayawada	3,000·00
		11) Sri Validandla Hanuman- tharaya Grandhalayam, Gandhinagar, Vijayawada-520003	5,000·00
		12) Sri Vemana Andhra Bhasha Nilayam, Nampally, Hyderabad	2,500·00
			<hr/> 34,500·00 <hr/>
2)	Bihar	1) Ramkrishna Mission. Ash- rama, R. K. Mission Avenue, Patna-800004	750·00
			<hr/> 750·00 <hr/>
3)	Gujarat	1) Shree Bhagvatsinhji Library, Toean Hall, Gondal	500·00
		2) Roychand Dipchand Library (Near Tower), Broach	375·00
		3) Lang Library, Jubilee Gar- den, Rajkot	750·00
		4) Central Library, Baroda	5,000·00

Sl. No.	Name of the State	Name of Library Centres	Amount of assistance Rs. P.
		5) Shrimant Fatehsingh Rao Sarvajanic Pustakalaya, Patan, North Gujarat	250.00 <hr/> 6,875.00
4)	Kerala	1) P. K. Memorial Grandhasala, Ambalapuzha	5,000.00
		2) Sri Avittam Thirunal Grandhasala, Kuriyathi, Trivandrum-9	1,500.00
		3) The Trichur Public Library Trichur	1,500.00 <hr/> 8,000.00
5)	Madhya Pradesh	1) Maulana Azad Central Library, Bhopal	4,000.00
		2) Govt. Central Library, Gwalior	1,000.00 <hr/> 5,000.00
6)	Maharashtra	1) Pune Marathi Granthalaya, 437/B, Narayan Path, Poona-30	15,000.00
		2) Vaidika Samsodhana Mandala, Poona	2,500.00 <hr/> 17,500.00
7)	Orissa	1) Sriram Chandra Library, Baripada, Dt. Mayurbhanj	3,750.00 <hr/> 3,750.00

Sl. No.	Name of the State	Name of Library Centres	Amount of assistance	
			Rs.	P.
8)	Rajasthan	1) Sri Oswal Pustakalaya, Laddu	1,500	00
		2) Sri Hindi Pustakalaya, Bhusawar, Dist. Bharatpur	500	00
		3) Sri Sambhar Pustakalaya, Katla Bazar, Sambhar Lake	250	00
		4) Sri Sanmati Pustakalaya, Sanmatl Pustakalaya Marg. Arjulal Sethi Nagar, Jaipur-302004	5,000	00
		5) Sri Kuchaman Pustaka- laya, Kuchaman City, Pin-341508	1,500	00
		6) Sri Navajyoti Pustakalaya, Ramgarh, Shekhawati (Sikar)	500	00
		7) Sri Mahavir Pustakalaya, Station Road, Sikar	500	00
		8) Sri Public Pratap Pustaka- laya, C/o. Shri Krishna Parishad, Surajgarh	500	00
		9) Sri Yuvak Sabha Library, Mandawa	500	00
		10) Sri Didwana Hindi Pusta- kalaya, Didwana	2,500	00
		11) Shri Saraswati Pustakalaya, Fatehpur, Shekhawati, Sikar	3,750	00
			<hr/>	
			17,000	00
			<hr/>	

Sl. No.	Name of the State	Name of Library Centres	Amount of assistance Rs. P.
9)	Tamil Nadu	1) Vysia Valibar Sangam, Madurai	1,000.00 <hr/> 1,000.00
10)	Uttar Pradesh	1) Central State Library, Allahabad	1,500.00
		2) District Library, Agra	1,000.00
		3) District Library, Kanpur	1,000.00
		4) District Library, Varanasi	1,000.00
		5) District Library, Meerut	1,000.00
		6) District Library, Jhansi	
		7) Tilak Memorial Library, Mussoorie	2,000.00
		8) Dev Suman Library, Tehri Garhwal	1,250.00
		9) Gandhi Pustakalaya, Shahjahanpur	2,000.00 <hr/> 11,750.00
11)	West Bengal	1) Chandernagore Pustaka- laya, Chandernagore	7,500.00 <hr/> 7,500.00
12)	Pondicherry	1) Romain Rolland Library, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	9,892.75 <hr/> 9,892.75
Grant Total			1,23,517.75 <hr/>

Note : One cheque for Rs. 1000/- in favour of a library in Tamil Nadu was returned and cancelled during the year, and the same was re-issued in 1979-80.

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED AT DIFFERENT LEVELS
DURING THE YEAR 1978-79 :

Sl. No.	Name of the State	State Cent. Libraries	District Libraries	Sub-Div./Block Taluka/Area/rural libraries	Rural Libs. Run by V.O.	Mobile Libraries	Library assisted for Binding & Preservation	Nehru Yuvak Kendras	Bal Bhavans & B. Kendras Libs.	Children's Libs.	Others/N.S.S.	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	1	28	642	—	—	12	9	—	—	—	691
2.	Assam	1	19	—	—	—	—	3	1	—	—	24
3.	Bihar	1	17	353	—	—	1	7	—	—	—	379
4.	Gujarat	1	18	—	—	—	5	2	—	—	—	26
5.	Haryana	1	6	—	—	—	—	1	1	—	—	9
6.	Himachal Pradesh	1	11	—	—	—	—	3	—	—	—	15
7.	Jammu & Kashmir	1	19	—	—	—	—	—	—	—	—	20
8.	Karnataka	1	19	397	—	—	—	8	1	—	—	426
9.	Kerala	1	10	250	—	—	3	5	1	—	—	270
10.	Madhya Pradesh	1	29	—	—	—	2	9	—	—	—	41
11.	Maharashtra	1	26	682	—	—	2	2	2	—	—	715
12.	Manipur	1	5	26	6	—	—	1	—	—	—	39

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF LIBRARIES COVERED AT DIFFERENT LEVELS
DURING THE YEARS 1972-73 TO 1978-79

Sl. No.	Name of the State	State Cent. Libraries	District Libraries	Sub-Div./Block Taluka/Area/rural libraries	Rural Libraries Run by V. O.	Mobile Libraries	Library assisted for Binding & Preservation	Nehru Yuva Kendras	Bal Bhavans B/Kendras & Children's Libs.	Others/N.S.S.	TOTAL
1.	Andhra Pradesh	1	28	1098	4	—	20	10	1	—	1162
2.	Assam	1	19	—	9	—	5	4	3	—	41
3.	Bihar	1	17	411	2	—	7	9	—	—	447
4.	Gujarat	1	18	104	—	6	11	5	1	—	146
5.	Haryana	1	6	—	—	—	—	1	6	—	14
6.	Himachal Pradesh	1	11	—	5	—	1	5	1	—	24
7.	Jammu & Kashmir	1	19	—	2	—	3	1	1	—	27
8.	Karnataka	1	19	1887	8	—	5	8	1	—	1920
9.	Kerala	1	10	1007	8	25	14	5	4	—	1074
10.	Madhya Pradesh	1	49	—	4	—	8	11	2	—	75
11.	Maharashtra	1	26	682	—	1	2	2	7	—	721
12.	Manipur	1	5	26	18	—	1	2	—	—	53

13. Meghalaya	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4
14. Nagaland	1	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
15. Orissa	1	14	341	8	—	13	—	—	7	—	116	—	500
16. Punjab	1	6	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	12
17. Rajasthan	1	37	—	13	—	13	—	—	12	—	—	—	76
18. Sikkim	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6
19. Tamil Nadu	—	13	900	—	—	7	—	—	4	3	—	—	927
20. Tripura	1	13	15	—	10	—	—	—	2	—	—	—	41
21. Uttar Pradesh	1	56	284	8	125	18	—	—	19	1	—	—	512
22. West Bengal	1	21	1896	—	102	7	—	—	8	6	—	—	2041
Bristol Library	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

UNION TERRITORIES :

1. Andaman & Nicobar	1	—	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
2. Arunachal Pradesh	1	5	19	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	26
3. Chandigarh	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	4
4. Dadra & Nagar Haveli	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3
5. Delhi	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	5
6. Goa, Daman & Diu	1	—	46	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	49
7. Lakshadweep	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. Mizoram	1	2	18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	22
9. Pondicherry	1	—	39	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	44
TOTAL—	27	402	8816	93	270	137	131	41	117	10034				

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

सप्तम
वार्षिक विवरण
1978-79




RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता - 700068

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

सप्तम
वार्षिक विवरण
1978-79



RAJA RAMMOHUN ROY
LIBRARY FOUNDATION

110, जोधपुर पार्क
कलकत्ता - 700068

नवम्बर 1979

डा० बी० पी० वरुआ, सदस्य-सचिव, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700068 द्वारा प्रकाशित एवं जनवाणी प्रिन्टर्स
एन्ड पब्लिशर्स प्रा० लि०, कलकत्ता-700003 से मुद्रित ।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान
वार्षिक विवरण
1978-79

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
I परिचय	1
II स्थान	1
III प्रतिष्ठान का गठन	2
IV प्रशासनिक समिति	2
V राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ	3
VI कर्मचारी एवं कार्यालय	4
VII वित्त	5
VIII नियम तथा विनियम	5
IX मूल्यांकन समिति	6
X सहायता कार्यक्रम	7
XI अन्य क्रियाकलाप	13
XII निष्कर्ष	13

परिशिष्ट

I प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची	17-20
II प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची	21-22
III राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची	23-27
IV संगठन सारिणी	28

- V वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों की सूची 29
- VI प्रतिष्ठान के वर्ष 1978-79 के लेखा परीक्षित लेखों का विवरण 30-43
- VII वर्ष 1978-79 के दौरान प्रक्रिया (सूचीकरण एवं वर्गीकरण) जिल्द बंदी, अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों व दुर्लभ पांडुलिपियों के परिरक्षण से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालय केन्द्रों की सूची 44-48
- VIII वर्ष 1978-79 के दौरान राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा शामिल विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण 49-50
- IX 1972-73 से 1978-79 के दौरान राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा शामिल विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण 51-52

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान

सप्तम वार्षिक विवरण

1978-79

I परिचय :

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान की स्थापना 20 मई, 1972 को राजा के जन्म की द्विशती के उपलक्ष में की गई। यह शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषित एक स्वायत्तशासी संगठन है। प्रतिष्ठान पश्चिम बंगाल संस्था पंजीकरण अधिनियम 1961 के अधीन पंजीकृत हुआ। प्रतिष्ठान के सामान्य उद्देश्य इसकी संस्था-ज्ञापिका में विस्तार से दिये गये हैं। संक्षेप में, राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के पुस्तकालय प्राधिकारियों के सक्रिय सहयोग से पर्याप्त पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करते हुए तथा अध्ययन रुचि को लोकप्रिय बनाते हुए देश में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहित करना व संरक्षण देना प्रतिष्ठान का मौलिक उद्देश्य है।

II स्थान :

प्रतिष्ठान का कार्यालय 110, जोधपुर पार्क, कलकत्ता-700068 स्थित एक किराये के भवन में अवस्थित है। कार्यालय की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूर्ण करने हेतु स्थान पर्याप्त नहीं है। प्रतिष्ठान के लिए अनुकूल एवं स्थाई आवास पाने के प्रयास जारी हैं।

III प्रतिष्ठान का गठन :

प्रतिष्ठान का गठन निम्नलिखित 22 सदस्यों से हुआ है :—

- केन्द्रीय शिक्षा मंत्री अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में,
- सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति,
- भारत सरकार द्वारा नामित 13 व्यक्ति जिनमें 4 प्रसिद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष हैं एवं अन्य शिक्षाविद हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ, साहित्य अकादमी एवं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के प्रतिनिधि शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिये भारत सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति ; तथा
- सदस्य सचिव ।

अधिनियम के अनुसार प्रतिष्ठान का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है एवं प्रथम सभा होने की तिथि से ही इसके कार्यकाल का प्रारम्भ माना जाता है। फिर भी नये प्रतिष्ठान के गठन होने तथा इसके सदस्यों के नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने तक इसका कार्यकाल जारी रहता है। प्रतिष्ठान का द्वितीय कार्यकाल 21 मई, 1978 को समाप्त हुआ। सितम्बर 1978 में भारत सरकार ने 13 गैर सरकारी सदस्यों को नामित किया। पुनर्गठित प्रतिष्ठान की प्रथम सभा 7 नवम्बर, 1978 को हुई। संयोगवश यह प्रतिष्ठान की पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा की बैठक थी।

(प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 में देखी जा सकती है)

IV प्रशासनिक समिति :

प्रतिष्ठान एक प्रशासनिक समिति की सहायता से कार्य करता है। प्रतिष्ठान ने अपनी पाँचवीं वार्षिक साधारण सभा में इसका पुनर्गठन किया। प्रशासनिक

समिति प्रतिष्ठान के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की देखभाल करती है। वर्ष के दौरान 22 मई, 1978, 11 नवम्बर 1978, एवं 12 व 13 जनवरी, 1979 को इसकी तीन बैठकें हुईं।

(प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट 11 में देखी जा सकती है)

प्रशासनिक समिति ने वर्ष के दौरान दो उपसमितियों का गठन किया, जिनमें से प्रथम सहायता योजनाओं के नियमों एवं कार्यविधियों का प्रारूप तैयार करने के लिये तथा दूसरी पुस्तकों का प्रकाशन एवं अनुवाद अहिन्दी भाषी राज्यों को आपूर्ति की जानेवाली हिन्दी पुस्तकों का केन्द्रीय चयन एवं प्रकाशकों / पुस्तक विक्रेताओं को बकाया 25 प्रतिशत राशि के भुगतान की प्रक्रिया से सम्बन्धित मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदनों की परीक्षा करने के लिये है। आगामी वर्ष के प्रारम्भ में ही इन समितियों का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

V राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ :

राज्य पुस्तकालय योजना समिति वह प्रमुख एजेंसी है जिसके माध्यम से प्रतिष्ठान राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों से सहयोग करता है। राज्य में पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार एवं विकास योजनाओं का निर्माण ही नहीं, वरन् प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत विभिन्न सहायता कार्यक्रमों का परिवीक्षण भी समिति का ही कार्य माना गया है। विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालयों की प्रोन्नति में कार्यरत विविध विभागों की समन्वय संस्था के रूप में भी समिति की सेवाएँ अपेक्षित हैं।

प्रत्येक राज्य पुस्तकालय योजना समिति में सदस्यों का एक छोटा समूह होता है, जिन्हें राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा नामित किया जाता है एवं प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव इसका पदेन सदस्य होता है। पुस्तकालय सेवाओं का प्रभारी अधिकारी अथवा राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष इस समिति का संयोजक होता है। निम्नलिखित राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त

अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों का गठन किया गया है।

(1) मध्य प्रदेश, (2) राजस्थान, (3) हरियाणा, (4) जम्मू एवं कश्मीर, (5) अरुणाचल प्रदेश, (6) दिल्ली, (7) पांडिचेरी एवं (8) लक्षद्वीप। इन राज्यों में पुस्तकालय सेवाओं के प्रभारी अधिकारी संयोजक माने जाते हैं।

मूल्यांकन समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते हुए प्रशासनिक समिति ने राज्य पुस्तकालय योजना समिति में प्रान्तीय भाषा व साहित्य में दक्ष एक-दो शिक्षाविदों को शामिल करने तथा वर्ष में कम-से-कम दो बार समिति की बैठक बुलाने का निर्णय किया। अनुशंसाएँ राज्य सरकारों के ध्यान में लाई गई हैं।

(परिशिष्ट III में राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों की सूची दी गई है)।

VI कर्मचारी एवं कार्यालय :

अध्यक्ष :—डा० भवतोष दत्त वर्ष के दौरान अध्यक्ष बने रहे।

सदस्य सचिव :—डा० वी० पी० बरुआ कार्यवाहक सदस्य सचिव बने रहे। अगले वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिष्ठान ने नियमित रूप से सदस्य सचिव की नियुक्ति का निर्णय लिया।

अन्य :—कार्यालय महालेखाकार पश्चिम बंगाल द्वारा प्रतिनियुक्त श्री आर० गुप्तशर्मा कार्यकारी अधिकारी बने रहे। कार्यवाहक सदस्य सचिव द्वारा पुनर्ग्रहणाधिकार लिये रहने के कारण क्षेत्र-अधिकारी का रिक्त पद नियमित रूप से नहीं भरा जा सका। श्रीमती कना सेनगुप्त की 1 जनवरी, 1979 से नियुक्ति के द्वारा पद को अस्थायी रूप से भर दिया गया। वर्ष के दौरान सांख्यिकी सहायक एवं चौकीदार के दो नये पदों का सृजन किया गया। अंग्णकालिक जमादार को मिलाकर कुल कर्मचारी संख्या 21 थी।

मूल्यांकन समिति ने बढ़ते हुए कार्य को पूर्ण करने के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने की अनुशंसा की। तदनुरूप प्रशासनिक समिति ने कुछ नये पदों यथा-संयुक्त निदेशक / उपसचिव, सह निदेशक, सह-सचिव, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ आशुलिपिक, कनिष्ठ लिपिक के पद-सृजन का निर्णय लिया। मंत्रालय की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

(परिशिष्ट IV में प्रतिष्ठान की संगठन सारिणी देखी जा सकती है)

VII वित्त :

प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। वर्ष के लिये निर्धारित क्रियाकलापों के कार्यक्रमों तथा अनुमानित व्यय के आधार पर यह वार्षिक अनुदान स्वीकृत करती है। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों से भी अंशदान प्राप्त करता है। सम्बन्धित राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु प्रतिष्ठान से समतुल्य सहायता प्राप्त करने के लिये अंशदान दिये जाते हैं।

प्रतिष्ठान ने वर्ष 1978-79 के दौरान भारत सरकार से मूल स्वीकृत राशि रु० 30 लाख की तुलना में रु० 22.50 लाख का अनुदान प्राप्त किया। राज्य सरकारों का अंशदान रु० 12.48 लाख था।

(विवरण परिशिष्ट V में दिया गया है।)

(महालेखाकार केन्द्रीय, कलकत्ता द्वारा वर्ष 1978-79 के लेखा परीक्षा किये गये लेखों का विवरण परिशिष्ट-VI में देखा जा सकता है।)

VIII नि.म तथा विनियम :

प्रतिष्ठान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संस्था ज्ञापिका एवं नियमों, सेवा नियमों, तथा अंशदायी भविष्य निधि नियमों द्वारा निर्देशित होता है। उपर्युक्त नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत न आनेवाले विषयों का विनियमन भारत सरकार

के सम्बद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं द्वारा होता है। वर्ष 1978-79 के दौरान 1 दुर्लभ पुस्तकों एवं पांडुलिपियों की जिल्द बंदी तथा परिरक्षण, 2 चल पुस्तकालय सेवाएं, 3 गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन सम्बन्धी तीन सहायता योजनाओं के नियम स्वीकार कर लिये गये हैं।

IX मूल्यांकन समिति :

फरवरी 1977 में श्री वी० आर० नन्द, निदेशक, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में प्रतिष्ठान द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने सितम्बर 1978 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति के विचारणीय विषय थे :—

अ—प्रतिष्ठान की स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में इसके प्रभाव का मूल्यांकन;

ब—अन्य बातों के साथ-साथ पुस्तकों के चयन, क्रय एवं वितरण, क्रय की जानेवाली पुस्तकों के मूल्यों की यथार्थता, एजेन्सी कमीशन, पुस्तकों की बँधाई एवं अग्रसारण आदि से सम्बन्धित प्रतिष्ठान की प्रक्रियाओं एवं कार्यविधि का परीक्षण, एवं

स—षष्ठ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिष्ठान के कार्यों की निर्देशक रूप रेखाओं का सुझाव देना।

इसके प्रतिवेदन के अनुसार “प्रतिष्ठान के क्रिया कलाप दृढ़ता से विस्तृत होते रहे हैं, परन्तु प्रतिष्ठान के समक्ष जो विशाल कार्य है वह कठिनताओं से भरा है, जिनमें अधिकांश विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय आन्दोलन के प्रति उचित आन्तरिक संगठन के अभाव के कारण है।” मूल्यांकन समिति ने छठवीं योजना के दौरान इसके क्रियाकलापों का पर्याप्त विस्तार करने की संस्तुति की है। प्रशासनिक समिति ने 12 एवं 13 जनवरी, 1979 को हुई बैठकों में मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों पर विचार किया। कुछ आंशोधनों के साथ एवं प्राप्य कोष के अनुसार संस्तुतियाँ स्वीकार कर ली गईं।

X सहायता कार्यक्रम :

वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत छठवीं योजना कार्यक्रम को मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों के संदर्भ में आशोधित किया गया। अन्तिम रूप से क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की गई सहायता योजनाएँ इस प्रकार हैं—

1. पुस्तकों एवं पाठ्य तथा दृश्य सामग्रियों के पर्याप्त भंडार बनाने हेतु सहायता,
2. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्र तथा चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु सहायता,
3. अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं दुर्लभ पांडुलिपियों की जिल्दबन्दी एवं परिरक्षण हेतु सहायता,
4. पुस्तकालयों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता,
5. पुस्तक संग्रह हेतु सहायता,

इनमें से अन्तिम योजना वर्ष के दौरान क्रियान्वयन हेतु हाथ में नहीं ली गई।

1. पुस्तकों एवं पाठ्य तथा दृश्य सामग्रियों के पर्याप्त भंडार बनाने हेतु सहायता :

पुस्तकों एवं पाठ्य पुस्तकालय सेवा के दो महान तत्व हैं। अध्ययन रुचि के विकास का अर्थ है पुस्तकालयों में अध्ययन सामग्री का पर्याप्त भंडार होना। परन्तु प्राप्य धनराशि के अल्प होने व पुस्तकों की लागत में वृद्धि होते रहने के कारण पुस्तकालयों के लिये पाठकों की बढ़ती हुई संख्या की आवश्यकताएँ पूर्ण करने हेतु पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों का संग्रह करना कठिन प्रतीत होता है। इसलिये प्रतिष्ठान ने पुस्तकालयों में पुस्तकों का भंडार बढ़ाने की दिशा में यह प्रमुख सहायता कार्यक्रम हाथ में लिया है।

पुस्तकालयों के मानक एवं उनके द्वारा सेवाएँ प्राप्त करनेवाले ग्राहकों के स्तर की दृष्टि से कार्यक्रम तीन उपविभागों में गठित किया गया है (अ) राज्य, जिला एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों को सहायता, (ब) ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता, (स) केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता ।

योजना के अन्तर्गत पुस्तकों एवं अन्य अध्ययन तथा दृश्य सामग्रियों के रूप में सहायता दी जाती है । राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की राज्य पुस्तकालय योजना समितियाँ वितरण की जानेवाली पुस्तकों एवं सहायता पानेवाले पुस्तकालयों की सूची तैयार करती है । प्रत्येक राज्य हेतु प्राप्य कोष पर विचार करते हुए प्रतिष्ठान इन्हें विधिवत स्वीकृति देता है । आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, त्रिपुरा एवं गोवा आदि राज्यों ने पुस्तकों के क्रय एवं वितरण का दायित्व संभाल लिया है । शेष राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये यह कार्य प्रतिष्ठान कर रहा है ।

सम्बन्धित राज्य पुस्तकालय योजना समितियों द्वारा चयनित पुस्तकों के अलावा देश के राज्य एवं जिला पुस्तकालयों को वितरण हेतु प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति कुछ पुस्तकों के केन्द्रीय रूप से चयन करती है, जो विशेषतः अंग्रेजी में होती है । केन्द्र पोषित पुस्तकालयों और केन्द्रीय रूप से चयनित पुस्तकालयों के अलावा सभी कार्यक्रमों के अन्तर्गत समतुल्य आधार पर सहायता दी जाती है ।

विवेच्य अवधि के दौरान प्रतिष्ठान को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में विभिन्न समस्याओं एवं जटिलताओं का सामना करना पड़ा । इनमें राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों से सहायता प्रस्तावों का देरी से प्राप्त होना प्रमुख समस्या थी । परिणामस्वरूप, पुस्तक अर्जन एवं वितरण की समस्त प्रक्रिया में विलम्ब हुआ और प्रतिष्ठान अपने व्यय का एक बड़ा अंश वर्ष के अन्तिम त्रिमास में वहन करने को बाध्य हुआ । अर्थात् वर्ष के अन्तिम महीने में खर्च अधिक हुआ । योजनाओं में ऐसा होना अपरिहार्य है । थोक खरीद हेतु पुस्तकों का चयन एक कठिन एवं अधिक समय लगाने वाला कार्य है । यद्यपि राज्य पुस्तकालय योजना समिति अन्तिम रूप से पुस्तक सूचियों को स्वीकृति प्रदान करती है, तथापि चयन का भार एक पुस्तक चयन समिति को सौंपा जाता है । कुछ राज्य इस कार्य हेतु नियुक्त पुस्तक

समीक्षकों की सहायता लेते हैं। कुछ राज्यों ने सहायता पानेवाले पुस्तकालयों के स्तर तक पुस्तक चयन प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर दिया है। उसी प्रकार विशेषतः ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालयों के चयन हेतु विभिन्न बिन्दुओं पर परामर्श करना होता है। प्रतिष्ठान साधारणतः वर्ष के मध्य अथवा तृतीय त्रिमास में सूचियाँ प्राप्त करता है। सूचियों की प्राप्ति एवं स्वीकृति होते ही प्रतिष्ठान अथवा राज्य प्राधिकरण पुस्तक आपूर्ति हेतु आदेश देते हैं। जब सूचियाँ त्रुटिपूर्ण पाई जाती हैं, तब जटिलता आ जाती है। फिर छूट की दर एवं पुस्तकों के मूल्य सम्बन्धी स्पष्टीकरण हेतु कितने ही पत्र-व्यवहार होते हैं। तत्पश्चात् उन आदेशों की पूर्ति में प्रकाशक/पुस्तक विक्रेता दो से तीन महीने का समय लेते हैं। आपूर्ति पूर्ण होने के बाद ही भुगतान किया जाता है। इन परिस्थितियों में प्रतिष्ठान के सामने वर्ष के अंतिम छोर में सहायता हेतु धन व्यय करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहता है। इस घटना का विवेचन आवश्यक है।

प्रतिष्ठान जिस दूसरी कठिनाई का सामना करता है, वह प्राप्तकर्ता पुस्तकालयों द्वारा पुस्तकें पाने की स्वीकृति से सम्बन्धित है। कुछ पुस्तकालय पावती रसीद भेजने में नियमित नहीं हैं। इसके बिना वितरकों को पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सकता है। बकाया राशि जमा होती जाती है। दूसरी तरफ माल का वास्तविक प्रेषण एवं प्राप्ति दिखानेवाले उचित आलेखों के अभाव में भुगतान करने में जोखिम है। इस विषय पर मूल्यांकन समिति की संस्तुतियाँ प्रशासनिक समिति के विचाराधीन हैं। नये वर्ष के प्रारम्भ में शीघ्र ही किसी निर्णय की अपेक्षा की जाती है।

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश विशेष के अंशदान से सम्बन्धित सहायता का असमान वितरण एक दूसरी समस्या है। कुछ राज्य नियमित रूप से अंशदान देते हैं, परन्तु सहायता प्रस्ताव देने में नियमित नहीं हैं। किन्तु उनमें से कुछ राज्य सहायता हेतु प्रस्ताव भेजते हैं और अंशदान का आश्वासन देते रहते हैं, पर अन्त में ऐसा नहीं कर पाते। अतः कुछ राज्यों का अपने अंशदान के समतुल्य अनुपात से अधिक तथा कुछ का कम सहायता प्राप्त करना सम्पूर्ण रूप से टाला नहीं जा सकता। परन्तु सभी राज्य प्रतिष्ठान को दिये गये समस्त अंशदान के समतुल्य सहायता

प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, जिनमें पहले से ही अंशदान करनेवाले राज्य भी शामिल हैं।

(अ) राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों को सहायता :

प्रायः सभी राज्यों ने राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों की स्थापना कर दी है। इनमें से "कात्रेमारा सार्वजनिक पुस्तकालय, मद्रास" और "एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय, बम्बई" पुस्तक आपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत पुस्तकें प्राप्त करते हैं। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय के क्षेत्र में दिल्ली शामिल है। बिहार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में क्षेत्रीय पुस्तकालय भी हैं। अधिकांश जिलों में जिला पुस्तकालय स्थापित हैं। ये सरकारी अथवा सहायता प्राप्त पुस्तकालय हैं। कुछ राज्यों में सहायता पाने की दृष्टि से अनुमंडलीय पुस्तकालयों को जिला पुस्तकालयों से अलग किया जाता है। प्रतिष्ठान आरम्भ से ही इन समस्त पुस्तकालयों को पुस्तक अनुदान देता रहा है। वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान ने 27 राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं 382 जिला पुस्तकालयों को सहायता प्रदान की है। राज्यों एवं केन्द्रीय स्रोतों से उन्हें रु० 4.43 लाख की पुस्तकें वितरित की गईं।

(ब) ग्रामीण पुस्तकालयों को सहायता :

जिला एवं अनुमंडलीय स्तर के नीचे के पुस्तकालयों को ग्रामीण पुस्तकालयों के समूह में रखा गया है। ये तालुक, प्रखंड और ग्रामीण पुस्तकालय हो सकते हैं। ये पुस्तकालय प्रायः सरकारी सहायता से या इसके बिना स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जाते हैं। प्रतिष्ठान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तक पुस्तकालय सेवाएँ पहुँचाना होने के कारण ग्रामीण पुस्तकालयों की सहायता योजना पर अधिक जोर दिया गया है। यह इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि 5436 ग्रामीण पुस्तकालयों को योजना में शामिल किया गया है एवं वर्ष 1978-79 के दौरान रु० 31.28 लाख की पुस्तकें वितरित की गईं।

(स) केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को सहायता :

नेहरू युवक केन्द्र, जवाहर बाल भवन, अरविन्द बाल केन्द्र, भगवान महावीर जयन्ती पुस्तकालय आदि केन्द्र पोषित पुस्तकालयों को प्रतिष्ठान प्रत्यक्ष रूप से सहायता देता है। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ विख्यात स्वैच्छिक संगठनों को भी योजनान्तर्गत सहायता दिये जाने का निश्चय किया गया।

इस स्तर के पुस्तकालयों को सहायता प्रदान करने का उत्साह वर्ष के दौरान कुछ कम पड़ गया। कुछ केन्द्र पोषित पुस्तकालयों में ग्रामीण पुस्तकालय चलाने का उत्साह क्षीण होता प्रतीत हो रहा है। प्रतिष्ठान ने 113 नेहरू युवक केन्द्रों, 7 बाल भवनों और बाल केन्द्रों तथा एक स्वैच्छिक संगठन को रु० 0.73 लाख की सहायता प्रदान की।

२. दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पांडुलिपियों की जिल्द बंदी हेतु सहायता :

देश के कुछ प्राचीन एवं सुस्थापित सरकारी एवं गैर सरकारी पुस्तकालयों में अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकें, पत्रिकाएँ एवं महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ हैं। वर्ष 1975-76 से प्रतिष्ठान ने दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं पांडुलिपियों के वायु शुद्धीकरण, परतबंदी, मरम्मत, जिल्द बंदी एवं परिरक्षण हेतु इन पुस्तकालयों को सहायता देने की एक योजना स्वीकृत की है। वर्ष 1978-79 के दौरान प्रतिष्ठान ने 44 पुस्तकालयों को रु० 1.23 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की। कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के प्रायः सभी महत्वपूर्ण पुस्तकालय सम्मिलित किये गये हैं। अब तक प्रतिष्ठान 137 पुस्तकालयों को सम्मिलित कर चुका है एवं इस हेतु रु० 6.92 लाख व्यय हो चुका है।

(वर्ष 1978-79 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की सूची परिशिष्ट VII में देखी जा सकती है।)

३. ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों एवं चल पुस्तकालय सेवाओं के विकास हेतु सहायता :

नव साक्षरों को पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठान ने ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों एवं चल पुस्तकालय सेवाओं को सहायता योजना स्वीकृत की। इस

योजना के अन्तर्गत कुछ संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों को पुस्तकों, साइकिलों, रिक्शों, थैलों आदि के रूप में सहायता दी जाती है। सहायता पानेवाली संस्थाओं द्वारा सस्ते यातायात के साधनों अथवा स्वयंसेवकों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान में पुस्तकों का चलन जारी रखने की अपेक्षा है।

वर्ष 1978-79 के दौरान प्रतिष्ठान ने केरल के 50 पुस्तकालयों द्वारा चल पुस्तकालय सेवा योजना को स्वीकृति प्रदान की 1050 साइकिल वाहन इस हेतु वितरित किये गये हैं। गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद तथा रामकृष्ण मिशन, लोकशिक्षा परिषद्, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल को भी उनके क्षेत्रों में पुस्तक संचय केन्द्रों को विकसित करने हेतु पुस्तक सहायता प्रदान की गई है।

(वर्ष 1978-79 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल पुस्तकालयों की संख्या परिशिष्ट VIII पर देखी जा सकती है)

4. पुस्तकालय कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं पुस्तक प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु सहायता :

छठवीं योजना अवधि हेतु यह नई योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य सेवारत पुस्तकालयों को पुनरभिस्थापन का प्रशिक्षण देना तथा पुस्तकालयों व पुस्तकों के प्रति जनजागरण लाना है। इस योजना के अन्तर्गत "भारत में ग्रामीण विकास हेतु पुस्तकालय एवं सूचना पद्धतियाँ" विषय पर विशेष पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के भारतीय संघ द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी हेतु तथा "भारत में पुस्तकालय विधेयक" विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी हेतु भारतीय पुस्तकालय संघ को सहायता प्रदान की गई। राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद को वहाँ आयोजित जिला पुस्तकालयाध्यक्षों की एक कार्यशाला सह संगोष्ठी हेतु तथा बंगाल पुस्तकालय संघ को "निरक्षरता निवारण में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका" विषय पर उनके द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी हेतु सहायता दी गई। इस हेतु कुल रु० ०.28 लाख खर्च हुए।

XI अन्य क्रियाकलाप :

राजा राममोहन राय की 106 वीं जन्म जयन्ती एवं प्रतिष्ठान के छठवें स्थापना-दिवस-स.म.रोह का आयोजन :

प्रतिष्ठान ने 22 मई, 1978 को राजा राममोहन राय की 206 वीं जन्म जयन्ती तथा ७ वाँ प्रतिष्ठा दिवस मनाया। डा० पी० सी० गुप्त, उप-कुलपति; रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय ने समारोह की अध्यक्षता की। डा. आर. के. दासगुप्त, निदेशक, राष्ट्रीय पुस्तकालय, प्रधान वक्ता थे। उन्होंने राजा राममोहन राय एवं नई शिक्षा विषय पर व्याख्यान दिया। सभा में अच्छी उपस्थिति रही एवं इसका व्यापक प्रचार हुआ।

राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों का प्रथम सम्मेलन :

प्रतिष्ठान राज्य पुस्तकालय योजना समिति की एजेंसी के माध्यम से कार्य करतः है एवं संयोजक इस यंत्र का प्रमुख कल्पुर्जा है। अतः राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के इन मुख्य अधिकारियों का एक सम्मेलन आयोजित करना उपयोगी समझा गया ताकि विचारों का आदान-प्रदान एवं कुछ समस्याओं का परस्पर विचार-विमर्श द्वारा समाधान हो सके। राज्य पुस्तकालय योजना समितियों के संयोजकों का प्रथम सम्मेलन 22 से 24 मई, 1978 को कलकत्ता में हुआ। सम्मेलन ने प्रतिष्ठान को इसके कार्यक्रमों के अबाधगति से क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त कदम उठाने योग्य बनाया।

पुस्तकालय विधेयक :

प्रतिष्ठान ने उन विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को, जिन्होंने पुस्तकालय विधेयक पारित नहीं किया है, तदनुकूल किसी भी प्रकार के पुस्तकालय विधेयक की वांछनीयता से प्रभावित किया है।

XII निष्कर्ष :

देश में पुस्तकालय सेवाओं की प्रोन्नति हेतु प्रतिष्ठान ने लम्बे कदम भरे हैं। 1972 में अपनी स्थापना से मार्च 1979 तक प्रतिष्ठान ने कुल

रु० 1,95,02,354.00 का अंशदान प्राप्त किया, जिसमें से रु० 1,13,15,000.00 भारत सरकार से एवं शेष रु० 81,27,354.00 राज्यों से प्राप्त हुए। सहायता की मात्रा 1972-73 में रु० 7.48 लाख से बढ़कर 1978-79 में रु० 37.98 लाख के नये कीर्तिमान तक पहुँच गई। गत सात वर्षों में सहायता दी गई कुल धनराशि रु० 1.75 करोड़ है। इनमें से अधिकांश पुस्तकों के क्रय पर व्यय की गई। पिछले सात वर्षों में प्रतिष्ठान ने विभिन्न स्तरों पर दस हजार से भी अधिक पुस्तकालयों को अपनी योजना में शामिल किया :—

राज्य पुस्तकालय	27
जिला पुस्तकालय	402
नेहरू युवक केन्द्र	131
वाल भवन, वाल केन्द्र आदि	41
ग्रामीण पुस्तकालय	8,816
जिल्द बंदी, प्रक्रिया एवं परिरक्षण हेतु सहायता प्राप्त पुस्तकालय	137
चल पुस्तकालय	270
स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय, राष्ट्रीय सेवा-योजना-केन्द्र एवं अन्य	210
	<hr/>
योग	100,34
	<hr/>

(1972-73 से 1978-79 तक विभिन्न स्तर पर सहायता प्राप्त पुस्तकालयों की संख्या परिशिष्ट-IX में देखी जा सकती है)

प्रतिष्ठान स्वाभाविक रूप से देश भर में पुस्तकालय सेवाओं का विस्तार करने का वातावरण पैदा करने का दावा कर सकता है। उत्साह कायम रखना है एवं आनेवाले वर्षों में प्रबलता से अग्रगति जारी रखनी है।

परिशिष्ट

प्रतिष्ठान के सदस्यों की सूची

1. प्रो० भवतोष दत्त अध्यक्ष
2. सचिव,
संस्कृति विभाग,
शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
3. सचिव,
शिक्षा विभाग,
शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
4. सचिव,
समाज कल्याण विभाग,
शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
5. वित्तीय सलाहकार,
शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली

6. सचिव,
साहित्य अकादमी,
रवीन्द्र भवन,
फिरोज शाह रोड,
नई दिल्ली
7. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत,
ए-५, ग्रीन पार्क,
नई दिल्ली
8. श्री बी० एल० भारद्वाज,
अध्यक्ष,
भारतीय पुस्तकालय संघ,
एल-18, कालकाजी,
नई दिल्ली-19
9. श्री पी० एन० पनिकर,
केरल अनौपचारिक शिक्षा एवं विकास संघ,
त्रिवेन्द्रम
10. श्री जावर हुसैन,
10, वाटर टावर रोड,
पटना
11. कुमारी लता पाटनकर,
वरिष्ठ प्राध्यापिका,
मूलजी जेठा महाविद्यालय,
जलगांव (महाराष्ट्र)
12. सिस्टर हेलेन विनसेंट,
प्राचार्या,
स्टेलामेरिस महाविद्यालय,
मद्रास

13. श्रीमती साधना सरकार,
प्राचार्या,
राममोहन महाविद्यालय,
राममोहन सरणी,
कलकत्ता-9
14. प्रो० विधुभूषण दास,
जन शिक्षा निदेशक,
उड़ीसा,
भुवनेश्वर
15. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन,
निदेशक,
प्रौढ शिक्षा निदेशालय,
नई दिल्ली
16. प्रो० एस० मक्बूल अहमद,
अध्यक्ष,
पश्चिम एशियाई अध्ययन केन्द्र,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़
17. प्रो० आर० के० दासगुप्त,
निदेशक,
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता
18. श्री जे० सी० मेहता,
निदेशक,
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
दिल्ली

19. श्री एन० डी० बगाड़ी
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बंगलोर
20. श्री बी० एन० तिवारी
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इलाहाबाद
21. श्री राम गोस्वामी,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गौहाटी
असम
22. डा० बी० पी० बरूआ,
सदस्य सचिव (कार्यवाहक)

प्रशासनिक समिति के सदस्यों की सूची

1. डा० भवतोष दत्त
अध्यक्ष
2. सचिव,
संस्कृति विभाग,
शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली
3. वित्तीय सलाहकार,
समाकलित वित्त खंड,
शिक्षा, समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय,
नई दिल्ली
4. प्रो० आर० के० दासगुप्त,
निदेशक,
राष्ट्रीय पुस्तकालय,
कलकत्ता-27
5. प्रो० ए० के० जलालुद्दीन,
निदेशक,
प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय,
नई दिल्ली
6. प्रो० विधुभूषण दास,
जन शिक्षा निदेशक,
उड़ीसा सरकार,
भुवनेश्वर

7. श्रीमती साधना सरकार,
प्राचार्या,
राममोहन महाविद्यालय,
कलकत्ता-9
8. श्री जे. सी. मेहता,
निदेशक,
दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय,
दिल्ली
9. श्री बी० एल० भारद्वाज,
अध्यक्ष,
भारतीय पुस्तकालय संघ,
नई दिल्ली
10. श्री एन० डी० बगाड़ी
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
कर्नाटक सरकार,
बंगलोर
11. सदस्य सचिव,
राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान,
कलकत्ता

राज्य पुस्तकालय योजना समिति के संयोजकों की सूची

राज्य

1. आन्ध्र प्रदेश :
निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
हैदराबाद
2. असम :
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
गौहाटी
3. बिहार :
पुस्तकालय अधीक्षक,
सिन्हा पुस्तकालय परिसर,
पटना
4. गुजरात :
संग्रहालय अध्यक्ष, गुजरात राज्य,
ओ-4, नया मानसिक चिकित्सालय भवन,
अहमदाबाद-16
5. हरियाणा :
उपनिदेशक,
जनशिक्षा (कालेज),
चंडीगढ़

6. हिमाचल प्रदेश :

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
सोलन

7. जम्मू और कश्मीर :

निदेशक, पुस्तकालय, शोध एवं संग्रहालय,
जम्मू और कश्मीर सरकार,
श्रीनगर

8. कर्नाटक :

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष एवं अध्यक्ष,
सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग,
शेषाद्रि अय्यर मेमोरियल हाल,
क्यूवन पार्क,
बंगलौर

9. केरल :

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
त्रिवेन्द्रम सार्वजनिक पुस्तकालय,
त्रिवेन्द्रम-1

10. मध्य प्रदेश :

मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
जनशिक्षा निदेशालय,
भोपाल

11. महाराष्ट्र :

निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
महाराष्ट्र नगर भवन,
बम्बई

12. **मणिपुर :**
मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इम्फाल
13. **मेघालय :**
निदेशक, जनशिक्षा,
शिलोंग
14. **नागालैंड :**
संयुक्त निदेशक, कला एवं संस्कृति,
कोहिमा
15. **उड़ीसा :**
अवर सचिव, उड़ीसा सरकार,
पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग,
भुवनेश्वर
16. **पंजाब :**
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
पटियाला
17. **राजस्थान :**
उपनिदेशक, समाज शिक्षा,
राजस्थान,
बीकानेर
18. **सिक्किम :**
सहायक सांस्कृतिक अधिकारी,
कार्यालय सांस्कृतिक सचिव,
गंगटोक

19. **तमिलनाडु :**
निदेशक, सार्वजनिक पुस्तकालय,
मद्रास ८
20. **त्रिपुरा :**
राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष,
वीरचन्द्र सार्वजनिक पुस्तकालय
त्रिपुरा सरकार,
अगरतला-799001
21. **उत्तर प्रदेश :**
पुस्तकालयाध्यक्ष,
राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
इलाहाबाद
22. **पश्चिम बंगाल :**
उपनिदेशक, जनशिक्षा,
(समाज शिक्षा),
पश्चिम बंगाल सरकार,
रायटर्स विल्डिंग्स,
कलकत्ता-700001

संघीय क्षेत्र

1. **अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह :**
शिक्षा निदेशक, अंदमान तथा निकोबार प्रशासन,
पोर्ट ब्लेयर
2. **अरुणाचल प्रदेश :**
पुस्तकालयाध्यक्ष,
केन्द्रीय पुस्तकालय,
अरुणाचल प्रदेश सरकार, चेंगोद,
पो० इटानगर (नया इटानगर)
जिला-सुवान्सरी

3. चंडीगढ़ :
पुस्तकालयाध्यक्ष,
टी० एस० राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय,
चंडीगढ़
4. दादरा और नगरहवेली :
अध्यक्ष, शिक्षा विभाग,
कार्यालय, प्रशासक दादरा और नगरहवेली,
दादरा और नगरहवेली,
सिलवासा
5. दिल्ली :
शिक्षा निदेशक,
दिल्ली प्रशासन,
पुराना सचिवालय,
दिल्ली
6. गोवा दमण तथा दीव :
संग्रहालय अध्यक्ष,
गोवा दमण तथा दीव सरकार,
केन्द्रीय पुस्तकालय, पणजी, गोवा
7. लक्ष द्वीप :
समाज कल्याण अधिकारी,
पो० कावारत्ती द्वारा एच० पी० ओ० कालीकट
लक्ष द्वीप
8. मिजोरम :
शिक्षा उपनिदेशक,
आइझोल
9. पांडिचेरी :
शिक्षा निदेशक,
पांडिचेरी-605001

संगठन सारिणी

अध्यक्ष



सदस्य सचिव



वरिष्ठ आशुलिपिक



विकास पक्ष



कार्यकारी पक्ष

1. क्षेत्र पदाधिकारी
2. सहायक
3. हिन्दी अनुवादक
4. कनिष्ठ आशुलिपिक
5. कनिष्ठ लिपिक (2)
6. चपरासी (1)

1. कार्यकारी अधिकारी
2. लेखाकार
3. सांख्यिकी सहायक
4. लेखालिपिक
5. रोकड़िया (कैशियर)
6. कनिष्ठ लिपिक (2)
7. वाहन चालक
8. दफ्तरी
9. चपरासी (1)
10. चौकीदार (2)
11. सफाईवाला-सह-माली
(अंश कालिक)

परिशिष्ट-V

वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अंशदानों की सूची

I		भारत सरकार	
		शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	22,50,000.00
II		निम्न सरकारों से प्राप्त अनुदान	
1.	आंध्र प्रदेश		2,00,000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश		10,000.00
3.	कर्नाटक		2,00,000.00
4.	केरल		1,00,000.00
5.	महाराष्ट्र		2,00,000.00
5.	नागालैंड		25,000.00
7.	गोवा दमन तथा दीव		5,000.00
8.	मिजोरम		20,000.00
9.	उत्तर प्रदेश		2,00,000.00
10.	पश्चिम बंगाल		2,00,000.00
11.	गुजरात		75,000.00
12.	सिक्किम		3,000.00
13.	अंदमान तथा नीकोबार द्वीप समूह		10,000.00

कुल योग : रु०

34,98,000.00

प्रतिष्ठान के वर्ष 1978-79 के लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण

परिशिष्ट-VI

(I) 1-4-1978 से 31-3-1979 तक को अबधि का आय और भुगतान लेखा
आय भुगतान

	₹	₹	₹
I. प्रारम्भिक शेष :			
हाथ रोकड़	1,050.71		
बैंक रोकड़	11,39,420.53		
		11,40,471.24	
I. प्रशासन :			
1-कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ता		1,73,107.39	
2-कर्मचारियों का यात्रा भत्ता		17,764.57	
3-कर्मचारियों का चिकित्सा व अन्य भत्ता			4,796.89
4-प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति, राज्य पुस्तकालय योजना समिति आदि की बैठकों के लिए यात्रा भत्ता			29,163.10
II. सरकारों से प्राप्त अंशदान			
1-आंध्र प्रदेश	2,00,000.00		
2-अरुणाचल प्रदेश	10,000.00		
3-कर्नाटक	2,00,000.00		
4-केरल	1,00,000.00		
5-महाराष्ट्र	2,00,000.00		
6-नागालैंड	25,000.00		
7-गोवा दमन एवं दीव	5,000.00		

8-मिजोरम	20,000.00	5-भवन का किराया	27,000.00
9-उत्तर प्रदेश	2,00,000.00	6-अन्य प्रभार	36,551.66
10-पश्चिम बंगाल	2,00,000.00	7-छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंशदान	6,517.00
11-गुजरात	75,000.00	8-कर्मचारी वाहन का अनुरक्षण	11,163.99
12-सिक्किम	3,000.00	9-प्रतिष्ठान का अंश-दायी भविष्यनिधि में अंशदान	5,826.20
13-अंदमान तथा		10-अनिवार्य जमा का भुगतान	14,997.05
नीकोबार द्वीप समूह	10,000.00	11-जमा (प्रतिभूति राशि)	100.00
III. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान :		12-स्थायी अग्रिम (अग्रदायी)	500.00
IV. विविध आय :		13-अग्रिम :	
1-बैंक ब्याज	22,597.58	बाढ़ अग्रिम	7,500.00
2-गैरेज भाड़ा	1,200.00	त्योहार अग्रिम	2,200.00
3-अंशदायी भविष्य निधि की जल्ती	2,560.00	साइकिल अग्रिम	550.00
4-विक्रय राशि	28.00	14-कर्मचारी कल्याण	1,000.00
5-कर्मचारी वाहन का निजी उपयोग	27.75		
			3,38,737.85

6-विज्ञापन व्यय की वापसी	2,400.00	11. पुस्तकालयों को सहायता	
7-यात्रा भत्ते की वापसी	1,441.75	(अ) चालू योजनाएँ	
8-बाढ़ अग्रिम की वापसी	458.00	१-पुस्तकों एवं पाठ्य तथा दृश्य सामग्रियों के पर्याप्त भंडार बनाने हेतु सहायता	
9-त्योहार अग्रिम की वापसी	60.00	अ) जिला पुस्तकालयों एवं अनुमंडलीय पुस्तकालयों को सुदृढ़ करना	4,42,811.13
10-छुटी वेतन की वापसी	31.25	ब) ग्रामीण पुस्तकालयों आदि को पुस्तकों की आपूर्ति	31,27,892.47
11-प्रतिभूति राशि की वापसी	100.00	स) केन्द्र पोषित नेहरू युवक केन्द्र, बाल भवन आदि पुस्तकालयों को पुस्तकों की आपूर्ति	72,876.66
12-बीमा प्रीमियम की वापसी	64.15	२-चल पुस्तकालय सेवाओं एवं ग्रामीण पुस्तक संचय केन्द्रों के विकास हेतु सहायता	2,067.45
13-अग्रदायी राशि की वापसी	0.12		
14-वितरकों को अधिक भुगतान की वापसी	61.07		
15-भविष्य निधि जमा	5,574.00		
16-अनिवार्य जमा योजना	14,997.05		
17-अन्य	0.03		
	<hr/>		
	51,600.75		

V. राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी) अंशदायी
भविष्य निधि लेखा

प्रारम्भिक शेष

हाथ रोकड़ 764.47

बैंक रोकड़ 17,295.53

अंशदायी भविष्यनिधि

अतिरिक्त महंगाई भत्ता
(बैंक रोकड़) 1,390.80

19,450.80

कर्मचारियों का

अंशदान 13,406.75

अग्रिम की वापसी

627.00

प्रतिष्ठान का अंशदायी

भविष्यनिधि में अंशदान 6,100.20

बैंक से प्राप्त व्याज

874.80

21,008.75

3-प्रक्रिया (सूचीकरण
और वर्गीकरण)
जिल्द बंदी तथा
अप्राप्य व दुर्लभ
पुस्तकों और दुर्लभ
पांडुलिपियों के परि-
रक्षण के लिए
सहायता 1,22,517.75

(ब) नई योजनाएँ :

4-संगोष्ठियों, कार्य-

शालाओं प्रशिक्षण

पाठ्यक्रमों, पुस्तक

प्रदर्शनियों के

आयोजन हेतु 28,424.00

सहायता

37,96,589.46

सुरक्षा जमा राशि

की वापसी 480.00

भविष्य निधि की

वापसी 5,574.00

III. प्रकाशन

VI. पूंजीगत व्यय

1-उपस्कर एवं सामग्री

11,721.66

V. राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी) अंशदायी
भविष्य निधि लेखा :

कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान	1,200.00
कर्मचारियों द्वारा अंतिम निकासी प्रतिष्ठान के अंशदान का राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के खाते में पुर्नलेखन	744.30
	427.00
	<u>2,371.30</u>

राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रति-
ष्ठान (कर्मचारी)
अंशदायी भविष्य

निधि खाता का अन्त शेष :

हाथ रोकड़	1,454.20
बैंक रोकड़	<u>36,634.05</u>
	38,088.25

अन्त शेष :
हाथ रोकड़
बैंक रोकड़

140.76
3,74,882.68

अवधि जमा व सावधि
जमा राशि

1,57,597.58

5,32,621.02

47,30,531.54

कुल योग :

47,30,531.54

कुल योग :

(ii) 31 मार्च, 1979 को समाप्त होनेवाले वर्ष का आय और व्यय-लेखा

व्यय	₹	₹	₹
1. प्रशासन :			
1-कर्मचारियों का वेतन एवं भता	1,75,608.14		34,98,000.00
2-कर्मचारियों का यात्रा भता	15,253.87		
3-कर्मचारियों का चिकित्सा व अन्य भता	4,796.89	27.75	
4-प्रतिष्ठान की प्रशासनिक समिति, राज्य पुस्तकालय योजना समिति आदि की बैठकों के लिये यात्रा भता आदि		28.00	
5-भवन का किराया	27,209.05	1,200.00	1,255.75
6-अन्य प्रभार	27,000.00		
7-छुट्टी वेतन तथा पेंशन अंगदान	35,356.50		
8-कर्मचारी वाहन का अनुरक्षण	6,517.00		
	10,975.89		
I. राज्य सरकारों से प्राप्त अंगदान व भारत सरकार से अनुदान			
II. विविध आय			
१-कर्मचारी वाहन के निजी उपयोग हेतु प्रभार		27.75	
२-समाचार पत्रादि की विक्रय राशि		28.00	
३-गैरेज भाड़ा		1,200.00	
III. अंशदायी भविष्य निधि की जम्मी			
बैंक से प्राप्त ब्याज	2,560.00		
विज्ञापन प्रचार की वापसी आदि	22,597.58		
अन्य आय से अधिक व्यय	2,400.00		
	0.03		
	6,46,663.31		

9-अंशदायी भविष्य- निधि में प्रतिष्ठान का अंशदान	5,826.20
10-कर्मचारी कल्याण अनुदान	1,000.00
	<u>3,09,543.54</u>

II. पुस्तकालयों को

सहायता :

१-पुस्तकों की खरीद और वितरण	36,71,943.19
चल पुस्तकालय सेवाओं की व्यवस्था	2,067.45
	<u>36,74,010.64</u>

वर्ष के दौरान पुरानी
देयता की निकासी
(घटायें)

96,899.27

इस वर्ष की बकाया
देयतायें

35,77,111.37

जोड़ें

1,59,956.01

37,37,067.38

प्रक्रिया (सूचीकरण और वर्गीकरण) जिल्द बंदी तथा अप्राप्य, दुर्लभ पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों के परि-रक्षण के लिये सहायता

1,22,517.75

III. प्रकाशन : प्रकाशन

4,348.00

कुल योग :

41,73,476.67

कुल योग :

41,73,476.67

(iii) 31 मार्च, 1979 को प्रतिष्ठान का तुलन-पत्र

देयताएँ	₹	₹	परिसम्पत्तियाँ	₹
I. बकाया देयताएँ:			I. उपस्कर एवं सामग्री :	
पिछले लेखे के अनुसार	6,34,477.99		पिछले लेखानुसार	90,997.39
इस वर्ष की निकासी घटाये	96,899.27		इस वर्ष का जोड़ें	11,331.60
				<u>1,02,328.99</u>
पिछले लेखे की शेष देयता	5,37,578.72		II. कर्मचारी वाहन :	
इस वर्ष की देयताएँ जोड़ें	1,59,956.01		पिछले लेखानुसार	29,111.85
			इस वर्ष का जोड़ें	—
				<u>29,111.85</u>
II. सुरक्षा जमा :			III. जमा राशि :	
पिछले लेखे के अनुसार	5,465.02		पिछले लेखानुसार	15,000.00
इस वर्ष की सुरक्षा जमा की वापसी घटाये	480.00		(डाक-तार-विभाग) भवन का किराया (गत वर्ष के लेखानुसार)	4,500.00
			प्रतिभूति राशि (इस वर्ष की)	100.00
				<u>19,600.00</u>
III. परिसम्पत्तियों की कीमत :			IV. अग्रिम राशियाँ :	
पिछले लेखे के अनुसार	1,30,807.80		ल्यौहार अग्रिम	180.00
इस वर्ष का जोड़ें	11,331.60		पिछले लेखे के अनुसार	
				<u>1,42,139.40</u>

₹०

₹०

₹०

₹०

IV. राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी) अंशदायी
भविष्य निधि लेखा :

पिछले लेखे के अनुसार 18,060.00

अतिरिक्त महंगाई भत्ता 1,390.80

19,450.80

इस वर्ष का जोड़ 21,008.75

40,459.55

इस वर्ष की निकासी
घटायें

1,944.30

38,515.25

राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
में जमा राशि घटायें

427.00

38,088.25

इस वर्ष का जोड़ 2,200.00

2,380.00

इस वर्ष की वापसी
घटायें 1,280.00

1,100.00

सायकल अग्रिम

पिछले लेखे के अनुसार 528.00

इस वर्ष का जोड़ 550.00

1,078.00

इस वर्ष की वापसी घटाएँ

451.00

627.00

बाढ़ अग्रिम

वर्ष के दौरान भुगतान 7,500.00

वर्ष के दौरान वापसी
घटाएँ 1,319.00

6,181.00

अनिवार्य महंगाई भत्ता :

पिछले लेखे के अनुसार
क्षेत्रीय भविष्य निधि
आयुक्त एवं अन्य से
प्राप्त
कर्मचारियों को भुगतान
घटायें

14,997.05

14,997.05

यात्रा भत्ता अग्रिम 2,993.00
पेट्रोल एवं मोबिल तेल
खरीद के लिये अग्रिम 188.10
फ्रॉकिंग मशीन हेतु डाक
टिकट क्रय करने के
लिये अग्रिम 1,783.50
4,964.60

V. आय एवं व्यय लेखा :

आय से अधिक व्यय 6,46,663.31

पिछले लेखों के अनुसार
व्यय से अधिक आय
घटायें

5,10,370.22

1,36,293.09

परिसम्पत्तियों की
कीमत जोड़ें

11,331.60

1,47,624.69

**VI. भारतीय स्टेट बैंक में
सावधि, अवधि जमा
राशि**

1,57,597.58

₹०

₹०

₹०

₹०

VII. अन्तिम शेष :

हाथ रोकड़	140.76	
बैंक रोकड़ (भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता)	3,74,882.68	3,75,023.44

अग्रदाय-धारी के पास
रोकड़ शेष

500.00

VIII. मूल्यांकन समिति के

अग्रदाय : लेखे का प्रारंभिक शेष	232.55	
वर्ष के दौरान भुगतान	17.45	
		250.00

वर्ष के दौरान

समायोजन

250.00

राजा राममोहन राय
पुस्तकालय प्रतिष्ठान
(कर्मचारी) भविष्य
निधि लेखा :
अन्तिम शेष :
हाथ में रोकड़
बैंक में रोकड़

1,454.20
36,634.05

38,088.25

कुल योग :

8,82,747.40

8,82,747.40

कुल योग :

ह०-एस० के० गांगुली
लेखाकार
31-7-79

ह०-आर० गुप्तशर्मा
कार्यकारी अधिकारी
31-7-79

ह०-बी० पी० बरुआ
सदस्य-सचिव
31-7-79

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के 1978-79 के उपर्युक्त लेखे और तुलन-पत्र की जांच की है और मैंने अपेक्षित जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन के निष्कर्षों के अधीन मैं अपनी लेखा परीक्षा तथा चयनात्मक लेखा परीक्षण के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में जहाँ तक मेरी जानकारी है और मुझे स्पष्टीकरण दिया गया है, उसके अनुसार और राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता की बहियों के अनुसार लेखे सही ढंग से तैयार किये गये हैं, ताकि ये प्रतिष्ठान के कार्यों का सच्चा और सही विवरण प्रस्तुत कर सकें।

ह०/-बी० चक्रवर्ती

लेखा परीक्षा अधिकारी

लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय, कलकत्ता

वर्ष 1978-79 के दौरान प्रक्रिया (सूचीकरण एवं वर्गीकरण) जिल्द बंदी, अप्राप्य एवं दुर्लभ पुस्तकों व दुर्लभ पांडुलिपियों के परिरक्षण से सम्बन्धित योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त पुस्तकालय केन्द्रों की सूची

क्रमांक राज्य का नाम	पुस्तकालय केन्द्रों के नाम	सहायता की धनराशि
		रु०
1. आन्ध्र प्रदेश	1. वापूजी वाचनालय, निजामाबाद	1,500.00
	2. श्री भ्रमरम्बा मालेश्वरा, आंध्र ग्रन्थालयम, शिवा- लयम् स्ट्रीट विजयवाड़ा-520001	2,500.00
	3. श्री के० आर० वी० के पुस्त- कालय, टाउनहाल, मेनरोड कांकीनाड़ा	1,500.00
	4. श्री गौथमी पुस्तकालय, राजा मुन्द्री	2,500.00
	5. मारवाड़ी हिन्दी पुस्तकालय, हश्मतगंज, सुल्तान बजार, हैदराबाद	1,000.00
	6. खालसा पुस्तकालय, गोलीगुड़ा हैदराबाद-12	500.00
	7. राजस्थानी हिन्दी पुस्तकालय, बेगम बजार, हैदराबाद-500012	5,000.00
	8. श्री बासवी कन्या परमेश्वरी ग्रन्थालयम, चिलकानूरीपेट, जिला-गंटूर	2,000.00
	9. सारस्वत निकेतनम, वेतपलम, जिला-प्रकाशम,	7,500.00

10. राममोहन निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय, विजयवाड़ा	रु० 3,000.00
11. श्री बालीडंडला हनुमन्तराय ग्रंथालयम्, गांधीनगर, विजय- वाड़ा-520003	5,000.00
12. श्री वैमन आन्ध्र भाषा निलयम्, नामावल्ली, हैदराबाद	2,500.00
	<hr/>
	34,500.00
	<hr/>

II. बिहार

1. रामकृष्ण मिशन आश्रम, आर० के० मिशन एवेन्यू, पटना-800004	750.00
	<hr/>
	750.00
	<hr/>

III. गुजरात

1. श्री भगवत् सिंहजी पुस्तकालय, टाउनहाल, गोंदल	500.00
2. रायचंद दीनचंद पुस्तकालय, घंटाघर के पास, भड़ौच	375.00
3. लैंग पुस्तकालय, जुबली गार्डन, राजकोट	750.00
4. केन्द्रीय पुस्तकालय, बड़ौदा	5,000.00
5. श्रीमंत फतेहसिंह राव सार्व- जनिक पुस्तकालय, पाटण, उत्तर गुजरात	250.00
	<hr/>
	6,875.00
	<hr/>

IV. केरल

1. पी० के० स्मारक ग्रंथशाला, अम्बालापूजा	5,000.00
2. श्री अविथान थिरूनल ग्रन्थ-	

	शाला, कुरियाठी त्रिवेंद्रम	रु० 1,500.00
	3. त्रिचुर सार्वजनिक पुस्तकालय, त्रिचुर	1,500.00
		<u>8,000.00</u>
V. मध्य प्रदेश		
	1. मौलाना आजाद केन्द्रीय पुस्त- कालय, भोपाल	4,000.00
	2. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, ग्वालियर	1,000.00
		<u>5,000.00</u>
VI. महाराष्ट्र		
	1. पुणे मराठी ग्रंथालय, 437/बी, नारायण पथ, पूना-30	15,000.00
	2. वैदिक संशोधन मंडल, पूना	2,500.00
		<u>17,500.00</u>
VII. उड़ीसा		
	1. श्री रामचन्द्र पुस्तकालय, वारीपाड़ा, जिला-मयूरभंज	3,750.00
		<u>3,750.00</u>
VIII. राजस्थान		
	1. श्री ओसवाल पुस्तकालय लाडनूं	1,500.00
	2. श्री हिन्दी पुस्तकालय, भुसावर, जिला-भरतपुर	500.00
	3. श्री सांभर पुस्तकालय, कटला बाजार, सांभर झील	250.00
	4. श्री सन्मति पुस्तकालय सन्मति पुस्तकालय मार्ग, अर्जुनलाल सेठीनगर, जयपुर-302004	5,000.00

5. श्री कुचामन पुस्तकालय, कुचामनसिटी, पिन-341508	₹ 1,500.00
6. श्री नवज्योति पुस्तकालय, रामगढ़, शेखावटी (सीकर)	500.00
7. श्री महावीर पुस्तकालय, स्टेशन रोड सीकर	500.00
8. श्री सावंजनिक प्रताप पुस्तकालय, द्वारा श्री कृष्णा परिषद्, सूरजगढ़	500.00
9. श्री युवक सभा पुस्तकालय, मंडावा	500.00
10. श्री डीडवाना हिन्दी पुस्तकालय, डीडवाना	2,500.00
11. श्री सरस्वती पुस्तकालय, फतेहपुर, शेखावटी सीकर,	3,750.00
	<u>17,000.00</u>

IX. तमिलनाडु

1. वैश्य वलीवार संगम, मादुरे	1,000.00
	<u>1,000.00</u>

X. उत्तर प्रदेश

1. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, इलाहाबाद	1,500.00
2. जिला पुस्तकालय, आगरा	1,000.00
3. जिला पुस्तकाल, कानपुर	1,000.00
4. जिला पुस्तकालय, वाराणसी	1,000.00
5. जिला पुस्तकालय, मेरठ	1,000.00
6. जिला पुस्तकालय, झाँसी	1,000.00
7. तिलक स्मारक पुस्तकालय, मसूरी	2,000.00

8. देवसुमन पुस्तकालय, टिहरी गढ़वाल	1,250.00
9. गांधी पुस्तकालय, शाहजहाँपुर	2,000.00
	<u>11,750.00</u>

XI. पश्चिम बंगाल

1. चन्दननगर पुस्तकालय, चन्दननगर	7,500.00
	<u>7,500.00</u>

XII. पांडिचेरी

1. रोमांरोला पुस्तकालय, पांडि- चेरी सरकार, पांडिचेरी	9,892.75
	<u>9,892.75</u>

कुलयोग— 1,23,517.75

टिप्पणी : वर्ष के दौरान तमिलनाडु के एक पुस्तकालय के पक्ष में रु० 1000.00 का एक चेक वापिस आया व निरस्त किया गया एवं 1979-80 में पुनः जारी किया गया ।

वर्ष 1978-79 के दौरान राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा शामिल विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण

क. राज्यों का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय		अनुमंडलीय प्रखंड/तालुक/क्षेत्रीय/ग्राम पुस्तकालय	स्वीच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय	चल पुस्तकालय	जिल्दबंदी एवं परिरक्षण हेतु सहायता प्राप्त पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	बाल भवन/बाल केन्द्र एवं बाल पुस्तकालय	अन्य एवं राष्ट्रीय सेवा-केन्द्र	योग
	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय								
राज्य :										
1. आन्ध्र प्रदेश	1	28	642	—	—	12	8	—	—	691
2. असम	1	19	—	—	—	—	3	—	—	24
3. बिहार	1	17	353	—	—	1	7	—	—	379
4. गुजरात	1	18	—	—	—	5	2	—	—	26
5. हरियाणा	1	6	—	—	—	—	1	1	—	9
6. हिमाचल प्रदेश	1	11	—	—	—	—	3	—	—	15
7. जम्मू और कश्मीर	1	19	—	—	—	—	—	—	—	20
8. कर्नाटक	1	19	397	—	—	—	8	1	—	426
9. केरल	1	10	250	—	—	3	5	1	—	270
10. मध्य प्रदेश	1	29	—	—	—	2	9	—	—	41
11. महाराष्ट्र	1	26	682	—	—	2	2	2	—	715
12. मणिपुर	1	5	26	6	—	—	1	—	—	39
13. मेघालय	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4
14. नागालैंड	1	—	23	—	—	—	—	—	—	24
15. उड़ीसा	1	14	341	—	—	1	6	—	—	363
16. पंजाब	1	6	—	—	—	—	5	—	—	12
17. राजस्थान	1	37	—	—	—	11	12	—	—	61

क्र. राज्यों का नाम

राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	अनुमंडलीय प्रखंड तालुक/क्षेत्रीय/ग्रामीण पुस्तकालय	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय	चल पुस्तकालय	परिरक्षण एवं जिल्दबंदी हेतु सहायता प्राप्त पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	बालभवन/बालकेन्द्र एवं बाल पुस्तकालय	अन्य एवं राष्ट्रीय सेवा-केन्द्र	कुल योग
18. सिक्किम	—	5	—	—	—	—	—	—	5
19. तमिलनाडु	—	13	500	—	—	—	—	—	519
20. त्रिपुरा	1	13	15	—	10	—	1	—	40
21. उत्तर प्रदेश	1	56	232	—	—	4	19	—	312
22. पश्चिम बंगाल	1	21	1896	—	87	1	8	—	2014
संघीय क्षेत्र									
1. अंदान तथा नीकोबार द्वीप समूह	1	—	—	—	—	—	—	—	1
2. अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	—	—	—	—	—	26
3. चंडीगढ़	1	—	—	—	—	—	1	—	3
4. दादरा तथा नगरहवेली	1	1	—	—	1	—	1	—	3
5. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	1	—	1
6. गोवा, दमन तथा दीव	1	—	—	—	—	—	1	—	—
7. लक्षद्वीप	—	—	42	—	—	—	1	—	44
8. मिजोरम	1	2	18	—	—	—	—	—	—
9. पांडिचेरी	1	—	—	—	—	—	1	—	22
योग :	27	382	5436	6	98	44	113	7	6113

1972-73 से 1978-79 के दौरान राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा शामिल विभिन्न स्तर के पुस्तकालयों की संख्या का विवरण

क्र.	राज्यों का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	अनुमंडलीय/प्रखंड/तालुक/क्षेत्रीय ग्रामीण पुस्तकालय	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय	चल पुस्तकालय	परिक्षण एवं जिल्दबंदी हेतु महायता प्राप्त पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	बालभवन/बालकेन्द्र एवं बाल पुस्तकालय	अन्य एवं राष्ट्रीय सेवायोजना-केन्द्र	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	28	1098	4	—	20	10	1	—	1162
2.	असम	1	19	—	9	—	5	4	3	—	41
3.	बिहार	1	17	411	2	—	7	9	—	—	447
4.	गुजरात	1	18	104	—	6	11	5	1	—	146
5.	हरियाणा	1	6	—	—	—	—	1	6	—	14
6.	हिमाचल प्रदेश	1	11	—	5	—	1	5	1	—	24
7.	जम्मू और कश्मीर	1	19	—	2	—	3	1	1	—	27
8.	कर्नाटक	1	19	1887	8	—	5	8	1	—	1929
9.	केरल	1	10	1007	8	25	14	5	4	—	1074
10.	मध्य प्रदेश	1	49	—	4	—	8	11	2	—	75
11.	महाराष्ट्र	1	26	682	—	1	2	2	7	—	721
12.	मणिपुर	1	5	26	18	—	1	2	—	—	53
13.	मेघालय	1	2	—	—	—	—	1	—	—	4
14.	नागालैंड	1	—	23	—	—	—	—	—	—	24
15.	उड़ीसा	1	14	341	8	—	13	7	—	116	500
16.	पंजाब	1	6	—	—	—	—	5	—	—	12
17.	राजस्थान	1	37	—	13	—	13	12	—	—	76
18.	सिक्किम	—	5	—	—	—	—	1	—	—	6

क्र. राज्यों का नाम

क्र.	राज्यों का नाम	राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय	जिला पुस्तकालय	अनुमंडलीय प्रखंड/तालुक/क्षेत्रीय ग्राम पुस्तकालय	स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ग्रामीण पुस्तकालय	चल पुस्तकालय	जिल्दबंदी एवं परिरक्षण हेतु सहायता प्राप्त पुस्तकालय	नेहरू युवक केन्द्र	बाल भवन/बाल केन्द्र एवं बाल पुस्तकालय	अन्य एवं राष्ट्रीय सेवायोजना केन्द्र	योग
19.	तमिलनाडु	—	13	900	—	—	7	4	3	—	927
20.	त्रिपुरा	1	13	15	—	10	—	2	—	—	41
21.	उत्तर प्रदेश	1	56	284	8	125	18	19	1	—	512
22.	पश्चिम बंगाल	1	21	1896	—	102	7	8	6	—	2041
23.	ब्रिस्टल आर्ट गैलरी	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
संघीय क्षेत्र :											
1.	अंदमान तथा नीकोबार द्वीप समूह	1	—	20	3	—	—	—	—	—	24
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	5	19	—	—	—	—	—	—	26
3.	चंडीगढ़	1	—	—	—	1	—	1	—	—	4
4.	दादरा तथा नगर हवेली	1	1	—	—	—	—	1	—	—	3
5.	दिल्ली	—	—	—	1	—	—	2	2	—	5
6.	गोआ दमन तथा दीव	1	—	46	—	—	—	1	—	—	49
7.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	मिजोरम	1	2	18	—	—	—	—	—	—	22
9.	पांडिचेरी	1	—	39	—	—	—	1	—	—	44
योग :		27	402	8816	93	270	137	131	41	117	10034